अहबार

[illegible]

मुसन्निफ़ की पहचान का मुआमला किताब की इख्तितामी आयत से तहवील किया जाता है, जो यह बताती ही कि जो अहकाम खुदावंद ने कोह — ए — सीने पर बनी इस्राईल के लिए मूसा को दिए वह यही हैं (27:34, 7:38; 25:1; 26:46) तवारीख़ की किताब कई एक तारीख़ी कैफ़ियतें पेश करती है जो शरीयत से ता'ल्लुक रखती हैं (8:10; 24:10 — 23) अह्बार का लफ्ज़ लावी के कबीले से लिया गया है जिस के अरकान खुदावंद की तरफ़ से काहिन और इबादत के रहनुमा बतौर मुक़र्रर थे — अह्बार की किताब लावियों के मुआमलात ज़िम्मेवारियों और दीगर कई एक बातों से मुखातब है — अहम् तौर से तमाम काहिनों को सिखाया और समझाया गया था कि किस तरह लोगों को उनकी इबादत में रहनुमाई करें, और लोगों को मतला' किया था कि किस तरह एक पाक ज़िन्दगी जियें।

[illegible]

इसके तसनीफ़ की तारीख़ तक़रीबन 1446 - 1405 क़ब्ल मसीह है।

अह्बार की किताब में जो शरीयत के क़ानून पाए जाते हैं वह खुदा के ज़रिये मूसा को कहे गए थे या सीना पहाड़ के नज़दीक कहे गए थे जहां बनी इस्राईल कुछ दिनों के लिए क़याम किए हुए थे।

[illegible]

इस किताब को काहिनों, लावियों, बनी इस्राईल कौम और उन की आने वाली पीदिके लिए लिखा गया था।

[illegible]

अह्बार की किताब खेमा — ए — इज्तिमा से मूसा को बुलाये जाने से शुरू होता है अह्बार की किताब इन छुडाए हुए लोगों की बाबत वाज़ेह करती है कि किस तरह उन्हें अपने जलाली खुदा के साथ जो अब उन के दरमियान रहता है रिफाक़त रखें — बनी इस्राईल कौम ने अभी हाल ही में मिस्र और उस की तहज़ीब और मज़हब को छोड़ा है और कनान में दाखिल हुए हैं जहां दूसरी तहज़ीब और मज़हब कौम पर तासीर करेगी अह्बार की किताब बनी इस्राईल के लिए यह मुआहदा फ़राहम करता है कि यहाँ की तहज़ीब से अलग होकर पाक बने रहें और यह्वे के लिए वफ़ादार बने रहें।

[illegible]

सिखाना और समझाना।

बैरूनी ख़ाका

1. नज़रों की बाबत हिदायात — 1:1-7:38
2. खुदा के काहिनों के लिए हिदायात — 8:1-10:20
3. खुदा के लोगों के लिए हिदायात — 11:1-15:33
4. कुर्बान्गाह और कफ्फारा के दिन के लिए हिदायात — 16:1-34
5. पाकीज़गी को अमली जामा पहनाना — 17:1-22:33
6. सबतें, ईदें, सालाना मज़हबी तेहवार — 23:1-25:55
7. खुदा की बरकत हासिल करने के लिए शर्तें — 26:1-27:34

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में से मूसा को
बुलाकर उससे कहा,
2 बनी — इस्राईल से कह, कि जब तुम में से कोई ख़ुदावन्द
के लिए चढ़ावा चढ़ाए, तो तुम चौपायों या'नी गाय — बैल और
भेड़ — बकरी का हदिया देना।

3 अगर उसका चढ़ावा गाय — बैल की सोख़्तनी क़ुर्बानी हो, तो
वह बे'ऐब नर को लाकर उसे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े
पर चढ़ाए ताकि वह ख़ुद ख़ुदावन्द के सामने मक़बूल ठहरे।
4 और वह सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर के सिर पर अपना हाथ
रख्खे, तब वह उसकी तरफ़ से मक़बूल होगा ताकि उसके लिए
कफ़्फ़ारा हो।
5 और वह उस बछड़े को ख़ुदावन्द के सामने ज़बह करे, और
हारून के बेटे जो काहिन हैं ख़ून को लाकर उसे उस मज़बह पर
चारों तरफ़ छिड़कें जो ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर
है।
6 तब वह उस सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और
उसके 'उज़्व — 'उज़्व को काट कर जुदा — जुदा करे।
7 फिर हारून काहिन के बेटे मज़बह पर आग रख्खें, और आग
पर लकड़ियाँ तरतीब से चुन दें।
8 और हारून के बेटे जो काहिन हैं, उसके 'आज़ा को और सिर
और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बह की आग पर होंगी
तरतीब से रख दें।
9 लेकिन वह उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले,
तब काहिन सबको मज़बह पर जलाए कि वह सोख़्तनी क़ुर्बानी
या'नी ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू की आतिशी क़ुर्बानी
हों।
10 और अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की
सोख़्तनी क़ुर्बानी हो, तो वह बे — 'ऐब नर को लाए।
11 और वह उसे मज़बह की उत्तरी सिम्त में ख़ुदावन्द के आगे
ज़बह करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके ख़ून को मज़बह
पर चारों तरफ़ छिड़कें।
12 फिर वह उसके 'उज़्व — 'उज़्व को और सिर और चर्बी को
काट कर जुदा — जुदा करे, और काहिन उनकी तरतीब से उन
लकड़ियों पर जो मज़बह की आग पर होंगी चुन दे;

13 लेकिन वह अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब
काहिन सबको लेकर मज़बह पर जला दे, वह सोख़्तनी क़ुर्बानी
या'नी ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ूशबू की आतिशी क़ुर्बानी
है।
14 "और अगर उसका चढ़ावा ख़ुदावन्द के लिए परिन्दों की
सोख़्तनी क़ुर्बानी हो, तो वह कुमरियों या कबूतर के बच्चों का
चढ़ावा चढ़ाए।
15 और काहिन उसको मज़बह पर लाकर उसका सिर मरोड़
डाले, और उसे मज़बह पर जला दे; और उसका ख़ून मज़बह के
पहलू पर गिर जाने दे।
16 और उसके पोटे को आलाइश के साथ ले जाकर मज़बह की
पूरबी सिम्त में राख की जगह में डाल दे।
17 और वह उसके दोनों बाज़ुओं को पकड़ कर उसे चीरे पर
अलग — अलग न करे। तब काहिन उसे मज़बह पर उन लकड़ियों
के ऊपर रख कर जो आग पर होंगी जला दे, वह सोख़्तनी क़ुर्बानी
या'नी ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू की आतिशी क़ुर्बानी
है।

2

[illegible]

1 और अगर कोई ख़ुदावन्द के लिए नज़्र की क़ुर्बानी का हदिया
लाए, तो अपने हदिये के लिए मैदा ले और उसमें तेल डाल कर
उसके ऊपर लुबान रख्खे;
2 और वह उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन हैं लाए, और
तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि
सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नज़्र की क़ुर्बानी की
यादगारी के तौर पर मज़बह के ऊपर जलाए। यह ख़ुदावन्द के
लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू की आतिशी क़ुर्बानी होगी।

3 और जो कुछ उस नज़्र की क़ुर्बानी में से बाक़ी रह जाए,
वह हारून और उसके बेटों का होगा। यह ख़ुदावन्द की आतिशी
क़ुर्बानियों में पाकतरीन चीज़ है।
4 “और जब तू तनूर का पका हुआ नज़्र की क़ुर्बानी का हदिया
लाए, तो वह तेल मिले हुए मैदे के बेख़मीरी गिरदे या तेल चुपड़ी
हुई बेख़मीरी चपातियाँ हों।
5 और अगर तेरी नज़्र की क़ुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ
हो, तो वह तेल मिले हुए बेख़मीरी मैदे का हो।
6 उसको टुकड़े — टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तो वह
नज़्र की क़ुर्बानी होगी।
7 और अगर तेरी नज़्र की क़ुर्बानी का चढ़ावा कढ़ाई का तला
हुआ हो, तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए।
8 तू इन चीज़ों की नज़्र की क़ुर्बानी का चढ़ावा ख़ुदावन्द के
पास लाना, वह काहिन को दिया जाए। और वह उसे मज़बह के
पास लाए।
9 और काहिन उस नज़्र की क़ुर्बानी में से उसकी यादगारी
का हिस्सा उठा कर मज़बह पर जलाए, यह ख़ुदावन्द के लिए
राहतअंगेज़ ख़ुशबू की आतिशी क़ुर्बानी होगी।
10 और जो कुछ उस नज़्र की क़ुर्बानी में से बच रहे वह हारून
और उसके बेटों का होगा। यह ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानियों
में पाकतरीन चीज़ है।
11 कोई नज़्र की क़ुर्बानी जो तुम ख़ुदावन्द के सामने चढ़ाओ,
वह ख़मीर मिला कर न बनाई जाए; तुम कभी आतिशी क़ुर्बानी
के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने ख़मीर या शहद न जलाना।
12 तुम इनको पहले फलों के हदिये के तौर पर ख़ुदावन्द के
सामने लाना, लेकिन राहतअंगेज़ ख़ुशबू के लिए वह मज़बह पर
न पेश किये जाएँ।

13 और तू अपनी नज़्र की क़ुर्बानी के हर हदिये को [*]नमकीन
बनाना, और अपनी किसी नज़्र की क़ुर्बानी को अपने ख़ुदा के
'अहद के नमक बग़ैर न रहने देना; अपने सब हदियों के साथ
नमक भी पेश करना।
14 'और अगर तू पहले फलों की नज़्र का हदिया ख़ुदावन्द के
सामने पेश करे तो अपने पहले फलों की नज़्र के चढ़ावे के लिए
अनाज की भुनी हुई बालें, या'नी हरी — हरी बालों में से हाथ से
मलकर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना।
15 और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लुबान रखना, तो
वह नज़्र की क़ुर्बानी होगी।
16 और काहिन उसकी यादगारी के हिस्से को, या'नी थोड़े से
मल कर निकाले हुए दानों को और थोड़े से तेल को और सारे लुबान
को जला दे; यह ख़ुदावन्द के लिए आतिशी क़ुर्बानी होगी।

3

[illegible]

1 और अगर उसका हदिया सलामती का ज़बीहा हो और वह
गाय बैल में से किसी को अदा करे, तो चाहे वह नर हो या मादा;
लेकिन जो बे — 'ऐब हो उसी को वह ख़ुदावन्द के सामने पेश
करे।
2 और वह अपना हाथ अपने हदिये के जानवर के सिर पर रख्खे,
और ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर उसे ज़बह करे; और
हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके ख़ून को मज़बह पर चारों तरफ़
छिड़कें।
3 और वह सलामती के ज़बीहे में से ख़ुदावन्द के लिए आतिशी
क़ुर्बानी पेश करे, या'नी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं,

---

* **2:13** नमक का मतलब है अब्दी अहद का बाँधा जाना जो किन तोड़ा जा सकता था और न मु'तदलकिया जा सकता था — यह इस हकीक़त को ज़ाहिर करता था कि क़ुर्बानी में नमक डालना ख़ुदा के साथ अहद बांधना हुआ, देखें गिनती की किताब 18:19 और 2 तवारीक़ 13:5

4 और वह सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और
दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है,
और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों के साथ; इन सभों को वह जुदा
करे।
5 और हारून के बेटे उन्हें मज़बह पर सोख़्तनी क़ुर्बानी के ऊपर
जलाएँ जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं; यह
ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू की अतिशी क़ुर्बानी है।
6 और अगर उसका सलामती के ज़बीहे का हदिया ख़ुदावन्द
के लिए भेड़ — बकरी में से हो, तो चाहे नर हो या मादा, लेकिन
जो बे — 'ऐब हो उसी को वह अदा करे।
7 अगर वह बर्रा पेश करता हो, तो उसे ख़ुदावन्द के सामने अदा
करे,
8 और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रख्खे,
और उसे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के सामने ज़बह करे; और
हारून के बेटे उसके ख़ून को मज़बह पर चारों तरफ़ छिड़कें।
9 और वह सलामती के ज़बीहे में से ख़ुदावन्द के लिए अतिशी
क़ुर्बानी पेश करे; या'नी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वह रीढ़ के
पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं,
और वह सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है,
10 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास
रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों के साथ; इन सभों को
वह अलग करे।
11 और काहिन इन्हें मज़बह पर जलाए; यह उस अतिशी
क़ुर्बानी की ग़िज़ा है जो ख़ुदावन्द को पेश की जाती है।
12 “और अगर वह बकरा या बकरी पेश करता हो, तो उसे
ख़ुदावन्द के सामने अदा करे।
13 और वह अपना हाथ उसके सिर पर रख्खे, और उसे ख़ेमा —
ए — इजितमा'अ के सामने ज़बह करे; और हारून के बेटे उसके
ख़ून को मज़बह पर चारों तरफ़ छिड़कें।

14 और वह उसमें से अपना चढ़ावा अतिशी क़ुर्बानी के तौर पर
ख़ुदावन्द के सामने पेश करे; या'नी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी
रहती हैं, और वह सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है,
15 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास
रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों के साथ, इन सभों को
वह अलग करे।
16 और काहिन इनको मज़बह पर जलाए; यह उस अतिशीन
क़ुर्बानी की ग़िज़ा है, जो राहतअंगेज़ ख़ुशबू के लिए होती है;
सारी चर्बी ख़ुदावन्द की है।
17 यह तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में नसल — दर — नसल एक
हमेशा का क़ानून रहेगा, कि तुम चर्बी या ख़ून मुतलक़ न खाओ।"

4

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि,
2 बनी इस्राईल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको
ख़ुदावन्द ने मना' किया है, किसी काम को करे और उससे अनजाने
में ख़ता हो जाए।
3 अगर *काहिन — ए — मम्सूह ऐसी ख़ता करे जिससे क़ौम
मुजरिम ठहरती हो, तो वह अपनी उस ख़ता के लिए जो उसने की
है, एक बे — 'ऐब बछड़ा ख़ता की क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द
के सामने पेश करे।
4 वह उस बछड़े को ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर
ख़ुदावन्द के आगे लाए, और बछड़े के सिर पर अपना हाथ रख्खे
और उसको ख़ुदावन्द के आगे ज़बह करे।
5 और वह काहिन — ए — मम्सूह उस बछड़े के ख़ून में से कुछ
लेकर उसे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में ले जाए।

---
* **4:3** सरदार काहिन

6 और काहिन अपनी उँगली ख़ून में डुबो — डुबो कर, और ख़ून
में से ले लेकर उसे हैकल के पर्दे के सामने सात बार ख़ुदावन्द के
आगे छिड़के।
7 और काहिन उसी ख़ून में से ख़ुशबूदार ख़ुशबू जलाने की
क़ुर्बानगाह के सींगों पर, जो ख़ेमा — ए — इज्तिमा'अ में है,
ख़ुदावन्द के आगे लगाए; और उस बछड़े के बाक़ी सब ख़ून
को सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के पाये पर, जो ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ के दरवाज़े पर है उँडेल दे।
8 फिर वह ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे
अलग करे; या'नी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और वह
सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है,
9 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास
रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों के साथ; इन सभों को
वह वैसे ही अलग करे।
10 जैसे सलामती के ज़बीहे के बछड़े से वह अलग किए जाते
हैं; और काहिन उनको सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह पर जलाए।
11 और उस बछड़े की खाल, और उसका सब गोश्त, और सिर
और पाये, और अंतड़ियाँ और गोबर;
12 या'नी पूरे बछड़े को लश्कर गाह के बाहर किसी साफ़ जगह
में जहाँ राख पड़ती है, ले जाए; और सब कुछ लकड़ियों पर रख
कर आग से जलाए, वह वहीं जलाया जाए जहाँ राख डाली जाती
है।
13 'अगर †बनी — इस्राईल की सारी जमा'अत से अनजाने
चूक हो जाए, और यह बात जमा'अत की आँखों से छिपी तो हो
तो भी वह उन कामों में से जिन्हें ख़ुदावन्द ने मना' किया है, किसी
काम को करके मुजरिम हो गई हो,
14 तो उस ख़ता के जिसके वह क़ुसूरवार हों, मा'लूम हो जाने

† **4:13** जमा'शुदा तमाम बनी इस्राईल

पर ‡जमा'अत एक बछड़ा ख़ता की क़ुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के
लिए ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के सामने लाए।
15 और जमा'अत के बुज़ुर्ग अपने — अपने हाथ ख़ुदावन्द के
आगे उस बछड़े के सिर पर रख्खें, और बछड़ा ख़ुदावन्द के आगे
ज़बह किया जाए।
16 और काहिन — ए — मम्सूह उस बछड़े के ख़ून में से कुछ
ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में ले जाए;
17 और काहिन अपनी उँगली उस ख़ून में डुबो — डुबो कर उसे
पर्दे के सामने सात बार ख़ुदावन्द के आगे छिड़के,
18 और उसी ख़ून में से मज़बह के सींगों पर जो ख़ुदावन्द के
आगे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में है लगाए, और बाक़ी सारा
ख़ून सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के पाये पर, जो ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ के दरवाज़े पर है, उँडेल दे।
19 और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बह पर
जलाए।
20 वह बछड़े से यही करे, या'नी जो कुछ ख़ता की क़ुर्बानी के
बछड़े से किया था, वही इस बछड़े से करे। यूँ काहिन उनके लिए
कफ़्फ़ारा दे, तो उन्हें मु'आफ़ी मिलेगी;
21 और वह उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जा कर
जलाए, जैसे पहले बछड़े को जलाया था; यह जमा'अत की ख़ता
की क़ुर्बानी है।
22 और जब किसी सरदार से ख़ता हो जाए, और वह उन कामों
में से जिन्हें ख़ुदावन्द ने मना' किया है किसी काम को अनजाने में
कर बैठे और मुजरिम हो जाए।
23 तो जब वह ख़ता जो उससे सरज़द हुई है उसे बता दी जाए,
तो वह एक बे — 'ऐब बकरा अपनी क़ुर्बानी के लिए लाए;
24 और अपना हाथ उस बकरे के सिर पर रख्खे, और उसे उस

‡ **4:14** इस्राईली लोग

जगह ज़बह करे जहाँ सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर ख़ुदावन्द के
आगे ज़बह करते हैं; यह ख़ता की क़ुर्बानी है।
25 और काहिन ख़ता की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून अपनी उँगली
पर लेकर उसे सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के सींगों पर लगाए,
और उसका बाक़ी सब ख़ून सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के पाए
पर उँडेल दे।
26 और सलामती के ज़बीहे की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी
मज़बह पर जलाए। यूँ काहिन उसकी ख़ता का कफ़्फ़ारा दे, तो
उसे मु'आफ़ी मिलेगी।
27 'और अगर कोई 'आम आदमियों में से अनजाने में ख़ता करे,
और उन कामों में से जिन्हें ख़ुदावन्द ने मना' किया है किसी काम
को करके मुजरिम हो जाए;
28 तो जब वह ख़ता जो उसने की है उसे बता दी जाए, तो वह
अपनी उस ख़ता के लिए जो उससे सरज़द हुई है, एक बे — 'ऐब
बकरी लाए।
29 और वह अपना हाथ ख़ता की क़ुर्बानी के जानवर के सिर पर
रख्खे, और ख़ता की क़ुर्बानी के उस जानवर को सोख़्तनी क़ुर्बानी
की जगह पर ज़बह करे।
30 और काहिन उसका कुछ ख़ून अपनी उँगली पर ले कर उसे
सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के सींगों पर लगाए, और उसका बाक़ी
सब ख़ून मज़बह के पाए पर उँडेल दे;
31 और वह उसकी सारी चर्बी को अलग करे जैसे सलामती
के ज़बीहे की चर्बी अलग की जाती है, और काहिन उसे मज़बह
पर राहतअंगेज़ ख़ुशबू के तौर पर ख़ुदावन्द के लिए जलाए। यूँ
काहिन उसके लिए कफ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी।
32 और अगर ख़ता की क़ुर्बानी के लिए उसका हदिया बर्रा हो,
तो वह बे — 'ऐब मादा लाए;
33 और अपना हाथ ख़ता की क़ुर्बानी के जानवर के सिर पर

रख्खे; और उसे ख़ता की क़ुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़बह करे जहाँ सोख़्तनी क़ुर्बानी ज़बह करते है।

34 और काहिन ख़ता की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून अपनी उँगली पर लेकर उसे सोख़्तनी क़ुर्बानी के मज़बह के सींगों पर लगाए, और उसका बाक़ी सब ख़ून मज़बह के पाये पर उँडेल दे।

35 और उसकी सब चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहे के बर्रे की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसको मज़बह पर ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूँ काहिन उसके लिए उसकी ख़ता का जो उससे हुई है कफ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी।

5

[illegible]

1 और अगर कोई इस तरह ख़ता करे कि वह गवाह हो और उसे क़सम दी जाए कि जैसे उसने कुछ देखा या उसे कुछ मा'लूम है, और वह न बताए, तो उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा।

2 या अगर कोई शख़्स किसी *नापाक चीज़ को छू ले, चाहे वह नापाक जानवर या नापाक चौपाये या नापाक रेंगनेवाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मा'लूम भी न हो कि वह नापाक हो गया है तो भी वह मुजरिम ठहरेगा।

3 या अगर वह इंसान की उन नजासतों में से जिनसे वह नजिस हो जाता है, किसी नजासत को छू ले और उसे मा'लूम न हो, तो वह उस वक़्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मा'लूम हो जाएगा। †

4 या अगर कोई बग़ैर सोचे अपनी ज़बान से बुराई या भलाई करने की क़सम खाले, तो क़सम खा कर वह आदमी चाहे कैसी ही बात बग़ैर सोचे कह दे, बशर्ते कि उसे मा'लूम न हो, तो ऐसी बात में मुजरिम उस वक़्त ठहरेगा जब उसे मा'लूम हो जाएगा।

* **5:2** रस्मी तोर से — नापाक † **5:3** 12 से 14 बाब देखें

5 और जब वह इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस
अम्र में उससे ख़ता हुई है वह उसका इक़रार करे,
6 और ख़ुदावन्द के सामने अपने जुर्म की क़ुर्बानी लाए; या'नी
जो ख़ता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा, या'नी एक
भेड़ या बकरी ख़ता की क़ुर्बानी के तौर पर पेश करे, और काहिन
उसकी ख़ता का कफ़्फ़ारा दे
7 "और अगर उसे भेड़ देने का मक़दूर न हो, तो वह अपनी ख़ता
के लिए जुर्म की क़ुर्बानी के तौर पर दो कुमरियाँ या कबूतर के दो
बच्चे ख़ुदावन्द के सामने पेश करे; एक ख़ता की क़ुर्बानी के लिए
और दूसरा सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए।
8 वह उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो ख़ता की
क़ुर्बानी के लिए है पेश करे, और उसका सिर गर्दन के पास से मरोड़
डाले पर उसे अलग न करे,
9 और ख़ता की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून मज़बह के पहलू पर
छिड़के और बाक़ी ख़ून को मज़बह के पाये पर गिर जाने दे; यह
ख़ता की क़ुर्बानी है।
10 और दूसरे परिन्दे को ‡हुक्म के मुवाफ़िक़ सोख़्तनी क़ुर्बानी
के तौर पर अदा करे यूँ काहिन उसकी ख़ता का जो उसने की है
कफ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी।
11 और अगर उसे दो कुमरियाँ या कबूतर के दो बच्चे लाने का
भी मक़दूर न हो, तो अपनी ख़ता के लिए अपने हदिये के तौर पर,
§ ऐफ़ा के दसवें हिस्से के बराबर मैदा ख़ता की क़ुर्बानी के लिए
लाए। उस पर न तो वह तेल डाले, न लुबान रक्खे, क्यूँकि यह
ख़ता की क़ुर्बानी है।
12 वह उसे काहिन के पास लाए, और काहिन उसमें से अपनी
मुट्ठी भर कर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बह पर ख़ुदावन्द की
आतिशीन क़ुर्बानी के ऊपर जलाए। यह ख़ता की क़ुर्बानी है।

---

‡ **5:10** जो दिया गया था जोड़ें § **5:11** 1 किलोग्राम

13 यूँ काहिन उसके लिए इन बातों में से, जिस किसी में उससे
ख़ता हुई है उस ख़ता का कफ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी;
और जो कुछ बाक़ी रह जाएगा, वह नज़्र की क़ुर्बानी की तरह
काहिन का होगा।"

[illegible]

14 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि;
15 अगर ख़ुदावन्द की पाक चीज़ों में किसी से तक़सीर हो और
वह अनजाने में ख़ता करे, तो वह अपने जुर्म की क़ुर्बानी के तौर
पर रेवड़ में से बे — 'ऐब मेंढा ख़ुदावन्द के सामने अदा करे। *जुर्म
की क़ुर्बानी के लिए उसकी क़ीमत हैकल की मिस्क़ाल के हिसाब
से चाँदी की उतनी ही मिस्क़ालें हों, जितनी तू मुक़र्रर कर दे।
16 और जिस पाक चीज़ में उससे तक़सीर हुई है वह उसका
मु'आवज़ा दे, और उसमें पाँचवाँ हिस्सा और बढ़ा कर उसे काहिन
के हवाले करे। यूँ काहिन जुर्म की क़ुर्बानी का मेंढा पेश कर उसका
कफ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी।
17 'और अगर कोई ख़ता करे, और उन कामों में से जिन्हें
ख़ुदावन्द ने मना' किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह यह
बात जानता भी न हो तो भी मुजरिम ठहरेगा; और उसका गुनाह
उसी के सिर लगेगा।
18 तब वह रेवड़ में से एक बे — 'ऐब मेंढा उतने ही दाम का,
जो तू मुक़र्रर कर दे, जुर्म की क़ुर्बानी के तौर पर काहिन के पास
लाए। यूँ काहिन उसकी उस बात का, जिसमें उससे अनजाने में
चूक हो गई क़फ़्फ़ारा दे, तो उसे मु'आफ़ी मिलेगी।
19 यह जुर्म की क़ुर्बानी है, क्यूँकि वह यक़ीनन ख़ुदावन्द के
आगे मुजरिम है।"

---
* **5:15** या दोबारा अदाएगी की क़ुरबानी

6

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 "अगर किसी से यह ख़ता हो कि वह ख़ुदावन्द का क़ुसूर
करे, और अमानत या लेन — देन या लूट के मु'आमिले में अपने
पड़ोसी को धोखा दे, या अपने पड़ोसी पर ज़ुल्म करे,
3 या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर धोखा दे, और झूठी क़सम
भी खा ले; तब इनमें से चाहे कोई बात हो जिसमें किसी शख़्स से
ख़ता हो गई है,
4 इसलिए अगर उससे ख़ता हुई है और वह मुजरिम ठहरा है,
तो जो चीज़ उसने लूटी, या जो चीज़ उसने ज़ुल्म करके छीनी,
या जो चीज़ उसके पास अमानत थी, या जो खोई हुई चीज़ उसे
मिली,
5 या जिस चीज़ के बारे में उसने झूटी क़सम खाई; उस चीज़
को वह ज़रूर पूरा — पूरा वापस करे, और असल के साथ पाँचवा
हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन यह मा'लूम हो कि वह मुजरिम
है, उसी दिन वह उसे उसके मालिक को वापस दे;
6 और अपने जुर्म की क़ुर्बानी ख़ुदावन्द के सामने अदा करे, और
जितना दाम तू मुक़र्रर करे उतने दाम का एक बे — 'ऐब मेंढा रेवड़
में से जुर्म की क़ुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए।
7 यूँ काहिन उसके लिए ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दे, तो
जिस काम को करके वह मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मु'आफ़ी
मिलेगी।"

[illegible]

8 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
9 "हारून और उसके बेटों को यूँ हुक्म दे कि सोख़्तनी क़ुर्बानी
के बारे में शरा' यह है, कि सोख़्तनी क़ुर्बानी मज़बह के ऊपर

आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे, और मज़बह की आग
उस पर जलती रहे।
10 और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के
पाजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोख़्तनी क़ुर्बानी
को मज़बह पर भसम करके राख कर दिया है, उस राख को उठा
कर उसे मज़बह की एक तरफ़ रख्खे।
11 फिर वह अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने, और
उस राख को उठा कर लश्करगाह के बाहर किसी साफ़ जगह में
ले जाए।
12 और मज़बह पर आग जलती रहे, और कभी बुझने न पाए;
और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियाँ जला कर सोख़्तनी
क़ुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के ज़बीहों की चर्बी
को उसके ऊपर जलाया करे।
13 मज़बह पर आग हमेशा जलती रख्खी जाए; वह कभी बुझने
न पाए।

[illegible]

14 "नज़्र की क़ुर्बानी 'और नज़्र की क़ुर्बानी के बारे में शरा' यह
है, कि हारून के बेटे उसे मज़बह के आगे ख़ुदावन्द के सामने पेश
करें।
15 और वह नज़्र की क़ुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस
तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें
पड़ा होगा और नज़्र की क़ुर्बानी का सब लुबान आ जाए,
और इस यादगारी के हिस्से को मज़बह पर ख़ुदावन्द के सामने
राहतअंगेज ख़ुशबू के तौर पर जलाए।
16 और जो बाक़ी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएँ, वह
बग़ैर ख़मीर के पाक जगह में खाया जाए, या'नी वह ख़ेमा — ए
— इजितमा'अ के सहन में उसे खाएँ।

17 वह ख़मीर के साथ पकाया न जाए; मैंने यह अपनी आतिशीन क़ुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और यह ख़ता की क़ुर्बानी और जुर्म की क़ुर्बानी की तरह बहुत पाक है।

18 हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएँ। तुम्हारी नसल — दर — नसल की आतिशी क़ुर्बानियां जो ख़ुदावन्द को पेश करेंगे उनमें से यह उनका हक़ होगा। जो कोई उन्हें छुए वह पाक ठहरेगा।"

[illegible]

19 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि,

20 "जिस दिन हारून को मसह किया जाए उस दिन वह और उसके बेटे ख़ुदावन्द के सामने यह हदिया अदा करें, कि ऐफ़ा के दसवें हिस्से के बराबर मैदा, आधा सुबह को और आधा शाम को, हमेशा नज़्र की क़ुर्बानी के लिए लाएँ।

21 वह तवे पर तेल में पकाया जाए; जब वह तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नज़्र की क़ुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में पेश करना ताकि वह ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू भी हो।

22 और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन मम्सूह हो वह उसे पेश करे। यह हमेशा का क़ानून होगा कि वह ख़ुदावन्द के सामने बिल्कुल जलाया जाए।

23 काहिन की हर एक नज़्र की क़ुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए; वह कभी खाई न जाए।"

[illegible]

24 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,

25 "हारून और उसके बेटों से कह कि ख़ता की क़ुर्बानी के बारे में शरा' यह है, कि जिस जगह सोख़्तनी क़ुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, वहीं ख़ता की क़ुर्बानी का जानवर भी ख़ुदावन्द के आगे ज़बह किया जाए; वह बहुत पाक है।

26 जो काहिन उसे ख़ता के लिए पेश करे वह उसे खाए: वह पाक जगह में, या'नी ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के सहन में खाया जाए।

27 जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वह पाक ठहरेगा, और अगर किसी कपड़े पर उसके ख़ून की छिट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तू उसे किसी पाक जगह में धोना।

28 और मिट्टी का वह बर्तन जिसमें वह पकाया जाए तोड़ दिया जाए, लेकिन अगर वह पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को माँज कर पानी से धो लिया जाए।

29 और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए; वह बहुत पाक है।

30 लेकिन जिस ख़ता की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के अन्दर पाक मक़ाम में कफ़्फ़ारे के लिए पहुँचाया गया है, उसका गोश्त कभी न खाया जाए; बल्कि वह आग से जला दिया जाए।

7

[illegible]

1 "और जुर्म की क़ुर्बानी के बारे में शरा' यह है। वह बहुत पाक है।

2 जिस जगह सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हैं, वहीं वह जुर्म की क़ुर्बानी के जानवर को भी ज़बह करें; और वह उसके ख़ून को मज़बह के चारों तरफ़ छिड़के।

3 और वह उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, या'नी उसकी मोटी दुम को, और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं

4 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों के साथ: इन सबको वह अलग करे।

5 और काहिन उनको मज़बह पर ख़ुदावन्द के सामने आतिशीन क़ुर्बानी के तौर पर जलाए, यह जुर्म की क़ुर्बानी है।

6 और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए और किसी पाक जगह
में उसे खाएँ; वह बहुत पाक है।
7 जुर्म की क़ुर्बानी वैसी ही है जैसी ख़ता की क़ुर्बानी है और
उनके लिए एक ही शरा' है, और उन्हें वही काहिन ले जो उनसे
कफ़्फ़ारा देता है
8 और जो काहिन किसी शख़्स की तरफ़ से सोख़्तनी क़ुर्बानी
पेश करता हैं वही काहिन उस सोख़्तनी क़ुर्बानी की खाल को जो
उसने पेश कीं, अपने लिए ले — ले।
9 और हर एक नज़्र की क़ुर्बानी जो तनूर में पकाई जाए, और
वह भी जी कड़ाही में तैयार की जाए, और तवे की पकी हुई भी
उसी काहिन की है जो उसे पेश करे।
10 और हर एक नज़्र की क़ुर्बानी चाहे उसमे तेल मिला हुआ हो
या वह ख़ुश्क हो, बराबर — बराबर हारून के सब बेटों के लिए
हो।

[illegible]

11 'और सलामती के ज़बीहे के बारे में जिसे कोई ख़ुदावन्द के
सामने चढ़ाए शरा' यह है,
12 कि वह अगर शुक्राने के तौर पर उसे अदा करे तो वह शुक्राने
के ज़बीहे के साथ, तेल मिले हुए बे — ख़मीरी कुल्चे और तेल
चुपड़ी हुई बे — ख़मीरी चपातियाँ और तेल मिले हुए मैदे के तर
कुल्चे भी पेश करे।
13 और सलामती के ज़बीहे की क़ुर्बानी के साथ जो शुक्राने के
लिए होगी, वह ख़मीरी रोटी के गिर्द अपने हदिये पर पेश करे।
14 और हर हदिये में से वह एक को लेकर उसे ख़ुदावन्द के सामने
हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर अदा करे; और यह उस काहिन का
ही जो सलामती के ज़बीहे का ख़ून छिड़कता है।

15 और सलामती के ज़बीहों की उस क़ुर्बानी का गोश्त, जो उस
की तरफ़ से शुक्राने के तौर पर होगी, क़ुर्बानी अदा करने के दिन
ही खा लिया जाए; वह उसमें से कुछ सुबह तक बाक़ी न छोड़े।
16 लेकिन अगर उसके चढ़ावे की क़ुर्बानी मिन्नत का या रज़ा
का हदिया हो, तो वह उस दिन खाई जाए जिस दिन वह अपनी
क़ुर्बानी पेश करे; और जो कुछ उस में से बच रहे, वह दूसरे दिन
खाया जाए।
17 लेकिन जो कुछ उस क़ुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक
रह जाए वह आग में जला दिया जाए।
18 और उसके सलामती के ज़बीहों की क़ुर्बानी के गोश्त में से
अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वह मंज़ूर न होगा, और न
उस का सवाब क़ुर्बानी देने वाले की तरफ़ मन्सूब होगा, बल्कि
यह मकरूह बात होगी; और जो उस में से खाए उस का गुनाह
उसी के सिर लगेगा।
19 "और जो गोश्त किसी नापाक चीज़ से छू जाए, खाया न
जाए; वह आग में जलाया जाए। और ज़बीहे के गोश्त को, जो
पाक है वह तो खाए,
20 लेकिन जो शख़्स नापाकी की हालत में ख़ुदावन्द की
सलामती के ज़बीहे का गोश्त खाए, वह अपने लोगों में से काट
डाला जाए।
21 और जो कोई किसी नापाक चीज़ को छुए, चाहे वह इंसान
की नापाकी हो या नापाक जानवर हो या कोई नजिस मकरूह
शय हो, और फिर ख़ुदावन्द के सलामती के ज़बीहे के गोश्त में से
खाए, वह भी अपने लोगों में से काट डाला जाए।"

[illegible]

22 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
23 "बनी — इस्राईल से कह, कि तुम लोग न तो बैल की न भेड़
की और न बकरी की कुछ चर्बी खाना।

24 जो जानवर ख़ुद — ब — ख़ुद मर गया हो और जिस को
दरिन्दों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और — और काम में लाओ तो
लाओ पर उसे तुम किसी हाल में न खाना।
25 क्यूँकि जो कोई ऐसे चौपाये की चर्बी खाए, जिसे लोग
आतिशी क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने चढ़ाते हैं, वह
खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए।
26 और तुम अपनी सुकूनतगाहों में कहीं भी किसी तरह का
ख़ून चाहे परिन्दे का हो या चौपाये का, हरगिज़ न खाना।
27 जो कोई किसी तरह का ख़ून खाए, वह शख़्स अपने लोगों
में से काट डाला जाए।"

[illegible]

28 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
29 "बनी — इस्राईल से कह कि जो कोई अपना सलामती का
ज़बीहा ख़ुदावन्द के सामने पेश करे, वह ख़ुद ही अपने सलामती
के ज़बीहे की क़ुर्बानी में से अपना हदिया ख़ुदावन्द के सामने
लाए।"
30 वह अपने ही हाथों में ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानी को
लाए, या'नी चर्बी को सीने के साथ लाए कि सीना हिलाने की
क़ुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए।
31 और काहिन चर्बी को मज़बह पर जलाए, लेकिन सीना
हारून और उसके बेटों का हो।
32 और तुम सलामती के ज़बीहों की दहनी रान उठाने की
क़ुर्बानी के तौर पर काहिन को देना।
33 हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बीहों का ख़ून और
चर्बी पेश करे, वही वह दहनी रान अपना हिस्सा ले।
34 क्यूँकि बनी इस्राईल के सलामती के ज़बीहों में से हिलाने
की क़ुर्बानी का सीना और उठाने की क़ुर्बानी की रान को लेकर,

मैंने हारून काहिन और उसके बेटों को दिया है, कि यह हमेशा
बनी इस्राईल की तरफ़ से उन का हक़ हो।
35 “यह ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानियों में से हारून के मम्सूह
होने का और उसके बेटों के मम्सूह होने का हिस्सा है, जो उस दिन
मुक़र्रर हुआ जब वह ख़ुदावन्द के सामने काहिन की ख़िदमत को
अंजाम देने के लिए हाज़िर किए गए।
36 या'नी जिस दिन ख़ुदावन्द ने उन्हें मसह किया, उस दिन
उसने यह हुक्म दिया कि बनी — इस्राईल की तरफ़ से उन्हें यह
मिला करे; इसलिए उन की नसल — दर — नसल यह उन का
हक़ रहेगा।”
37 सोख़्तनी क़ुर्बानी, और नज़्र की क़ुर्बानी, और ख़ता की
क़ुर्बानी, और जुर्म की क़ुर्बानी, और तख़्सीस और सलामती के
ज़बीहे के बारे में शरा' यह है।
38 जिसका हुक्म ख़ुदावन्द ने मूसा को उस दिन कोह-ए-सीना
पर दिया जिस दिन उसने बनी — इस्राईल को फ़रमाया, कि सीना
के वीराने में ख़ुदावन्द के सामने अपनी क़ुर्बानी पेश करें।

8

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 “हारून और उसके साथ उसके बेटों को, और लिबास, को और
मसह करने के तेल को, और ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े और दोनों
मेंढों और बे — ख़मीरी रोटियों की टोकरी को ले;
3 और सारी जमा'अत को ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े
पर जमा' कर।”
4 चुनाँचे मूसा ने ख़ुदावन्द के हुक्म के मुताबिक़ 'अमल किया;
और सारी जमा'अत ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर
जमा' हुई।

5 तब मूसा ने जमा'अत से कहा, “यह वह काम है, जिसके करने
का हुक्म ख़ुदावन्द ने दिया है।”
6 फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उन को
पानी से ग़ुस्ल दिलाया।
7 और उसको कुरता पहना कर उस पर कमरबन्द लपेटा, और
उसको जुब्बा पहना कर उस पर अफ़ोद लगाया और अफ़ोद के
कारीगरी से बुने हुए कमरबन्द को उस पर लपेटा, और उसी से
उसको उसके ऊपर कस दिया।
8 और सीनाबन्द को उसके ऊपर लगा कर सीनाबन्द में ऊरीम
और तुम्मीम लगा दिए।
9 और उसके सिर पर 'अमामा रख्खा और 'अमामे पर सामने
सोने के पत्तर या'नी पाक ताज को लगाया, जैसा ख़ुदावन्द ने
मूसा को हुक्म किया था।
10 और मूसा ने मसह करने का तेल लिया; और घर को और जो
कुछ उसमें था सब को मसह कर के पाक किया।
11 और उस में से थोड़ा सा लेकर मज़बह पर सात बार छिड़का;
और मज़बह और उसके सब बर्तनों को, और हौज़ और उसकी कुर्सी
को मसह किया, ताकि उन्हें पाक करे।
12 और मसह करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सिर पर
डाला और उसे मसह किया ताकि वह पाक हो।
13 फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उन को
कुरते पहनाए, और उन पर कमरबन्द लपेटे, और उनको पगड़ियाँ
पहनाईं जैसा ख़ुदावन्द ने मूसा को हुक्म किया था।
14 और वह ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े को आगे लाया, और
हारून और उसके बेटों ने अपने — अपने हाथ ख़ता की क़ुर्बानी
के बछड़े के सिर पर रख्खे।
15 फिर उसने उसको ज़बह किया, और मूसा ने ख़ून को लेकर
मज़बह के चारों तरफ़ उसके सींगों पर अपनी उँगली से लगाया
और मज़बह को पाक किया; और बाक़ी ख़ून मज़बह के पाये पर

उँडेल कर उसका कफ़्फ़ारा दिया, ताकि वह पाक हो।
16 और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी, और जिगर
पर की झिल्ली, और दोनों गुर्दों और उन की चर्बी को लिया और
उन्हें मज़बह पर जलाया;
17 लेकिन बछड़े को, उसकी खाल और गोश्त और गोबर के
साथ, लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा ख़ुदावन्द ने
मूसा को हुक्म किया था।
18 फिर उसने सोख़्तनी क़ुर्बानी के मेंढे को हाज़िर किया, और
हारून और उसके बेटों ने अपने — अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर
रख्खे।
19 और उसने उसको ज़बह किया, और मूसा ने ख़ून को मज़बह
के ऊपर चारों तरफ़ छिड़का।
20 फिर उसने मेंढे के 'उज़्व — 'उज़्व को काट कर अलग किया,
और मूसा ने सिर और 'आज़ा और चर्बी को जलाया।
21 और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया, और
मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बह पर जलाया। यह सोख़्तनी क़ुर्बानी
राहतअंगेज़ ख़ुशबू के लिए थी, यह ख़ुदावन्द की आतिशी
क़ुर्बानी थी, जैसा ख़ुदावन्द ने मूसा को हुक्म किया था।
22 और उसने दूसरे मेंढे को जो तख़्सीसी मेंढा था हाज़िर किया,
और हारून और उसके बेटों ने अपने — अपने हाथ उस मेंढे के
सिर पर रख्खे।
23 और उसने उस को ज़बह किया, और मूसा ने उसका कुछ
ख़ून लेकर उसे हारून के दहने कान की लौ पर, और दहने हाथ के
अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया।
24 फिर वह हारून के बेटों को आगे लाया, और उसी ख़ून में
से कुछ उनके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और
दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया; और बाक़ी ख़ून को उसने मज़बह
के ऊपर चारों तरफ़ छिड़का।
25 और उसने चर्बी और मोटी दुम, और अंतड़ियों के ऊपर की

चर्बी, और जिगर पर की झिल्ली, और दोनो गुर्दे और उन की चर्बी,
और दहनी रान इन सभों को लिया,
26 और बे — ख़मीरी रोटियों की टोकरी में से जो ख़ुदावन्द
के सामने रहती थी, बे — ख़मीरी रोटी का एक गिर्दा, और तेल
चुपड़ी हुई रोटी का एक गिर्दा, और एक चपाती निकाल कर उन्हे
चर्बी और दहनी रान पर रख्खा।
27 और इन सभों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर
उन्हें हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने हिलाया।
28 फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया, और उनको
मज़बह पर सोख़्तनी क़ुर्बानी के ऊपर जलाया। यह राहतअंगेज़
ख़ुशबू के लिए तख़्सीसी क़ुर्बानी थी। यह ख़ुदावन्द की आतिशी
क़ुर्बानी थी।
29 फिर मूसा ने सीने को लिया, और उसको हिलाने की क़ुर्बानी
के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने हिलाया। उस तख़्सीसी मेंढे में से
यही मूसा का हिस्सा था, जैसा ख़ुदावन्द ने मूसा को हुक्म किया
था।
30 और मूसा ने मसह करने के तेल और मज़बह के ऊपर के ख़ून
में से कुछ — कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर, और
साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का; और हारून
और उसके लिबास को, और उसके बेटों को और उनके लिबास को
पाक किया।
31 और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि, ये गोश्त
ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर पकाओ, और इसको
वहीं उस रोटी के साथ जो तख़्सीसी टोकरी में है, खाओ, जैसा
मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएँ।
32 और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग
में जला देना;
33 और जब तक तुम्हारी तख़्सीस के दिन पूरे न हों, तब तक
या'नी सात दिन तक, तुम ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े

से बाहर न जाना; क्यूँकि सात दिन तक वह तुम्हारी तख़्सीस
करता रहेगा।
34 जैसा आज किया गया है, वैसा ही करने का हुक्म ख़ुदावन्द
ने दिया है ताकि तुम्हारे लिए कफ़्फ़ारा हो।
35 इसलिए तुम ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर सात
रोज़ तक दिन रात ठहरे रहना, और ख़ुदावन्द के हुक्म को मानना,
ताकि तुम मर न जाओ; क्यूँकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है।
36 तब हारून और उसके बेटों ने सब काम ख़ुदावन्द के हुक्म
के मुताबिक़ किया जो उस ने मूसा के ज़रिए' दिया था।

9

[illegible]

1 *आठवें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी —
इस्राईल के बुज़ुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि,
2 "ख़ता की क़ुर्बानी के लिए एक बे — 'ऐब बछड़ा और
सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए एक बे — 'ऐब मेंढा तू अपने वास्ते
ले और उन को ख़ुदावन्द के सामने पेश कर।
3 और बनी — इस्राईल से कह, कि तुम ख़ता की क़ुर्बानी के
लिए एक बकरा, और सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए एक बछड़ा, और
एक बर्रा जो यकसाला और बे — 'ऐब हों लो।
4 और सलामती के ज़बीहे के लिए ख़ुदावन्द के सामने चढ़ाने
के वास्ते एक बैल और एक मेंढा, और तेल मिली हुई नज़्र की
क़ुर्बानी भी लो; क्यूँकि आज ख़ुदावन्द तुम पर ज़ाहिर होगा।"
5 और वह जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब ख़ेमा — ए
— इजितमा'अ के सामने ले आए, और सारी जमा'अत नज़दीक
आकर ख़ुदावन्द के सामने खड़ी हुई।

* **9:1** सात दिन के रसम के बाद जोड़ें

6 मूसा ने कहा, “ये वह काम है जिसके बारे में ख़ुदावन्द ने
हुक्म दिया है कि तुम उसे करो, और ख़ुदावन्द का जलाल तुम
पर ज़ाहिर होगा।”
7 और मूसा ने हारून से कहा, कि मज़बह के नज़दीक जा और
अपनी ख़ता की क़ुर्बानी और अपनी सोख़्तनी क़ुर्बानी पेश कर
और अपने लिए और क़ौम के लिए कफ़्फ़ारा दे, और जमा'अत के
हदिये को पेश कर और उनके लिए कफ़्फ़ारा दे जैसा ख़ुदावन्द ने
हुक्म किया है।
8 तब हारून ने मज़बह के पास जाकर उस बछ्ड़े को जो उसकी
ख़ता की क़ुर्बानी के लिए था ज़बह किया।
9 और हारून के बेटे ख़ून को उसके पास ले गए, और उस ने
अपनी उँगली उस में डुबो — डुबो कर उसे मज़बह के सीगों पर
लगाया और बाक़ी ख़ून मज़बह के पाये पर उँडेल दिया।
10 लेकिन ख़ता की क़ुर्बानी की चर्बी, और गुर्दों और जिगर पर
की झिल्ली को उसने मज़बह पर जलाया, जैसा ख़ुदावन्द ने मूसा
को हुक्म किया था।
11 और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में
जलाया।
12 फिर उसने सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर को ज़बह किया, और
हारून के बेटों ने ख़ून उसे दिया और उसने उसको मज़बह के चारों
तरफ़ छिड़का।
13 और सोख़्तनी क़ुर्बानी को एक — एक टुकड़ा कर के, सिर के
साथ उसको दिया और उसने उन्हें मज़बह पर जलाया।
14 और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मज़बह
पर सोख़्तनी क़ुर्बानी के उपर जलाया।
15 फिर जमा'अत के हदिये को आगे लाकर, और उस बकरे को
जो जमा'अत की ख़ता की क़ुर्बानी के लिए था लेकर उस को ज़बह
किया, और पहले की तरह उसे भी ख़ता के लिए पेश करा।
16 और सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर को आगे लाकर, उसने उसे

हुक्म के मुताबिक़ पेश किया।
17 फिर नज़्र की क़ुर्बानी को आगे लाया, और उसमें से एक मुट्ठी
लेकर सुबह की सोख़्तनी क़ुर्बानी के 'अलावा उसे जलाया।
18 और उसने बैल और मेंढे को, जो लोगों की तरफ़ से सलामती
के ज़बीहे थे, ज़बह किया; और हारून के बेटों ने ख़ून उसे दिया,
और उसने उसको मज़बह पर चारों तरफ़ छिड़का।
19 और उन्होंने बैल की चर्बी को, और मेंढे की मोटी दुम को,
और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दों,
और जिगर पर की झिल्ली को भी उसे दिया;
20 और चर्बी सीनों पर धर दी। तब उसने वह चर्बी मज़बह पर
जलाई,
21 और सीना और दहनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म
के मुताबिक़ हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने
हिलाया।
22 और हारून ने जमा'अत की तरफ़ अपने हाथ बढ़ाकर उनको
बरकत दी; और ख़ता की क़ुर्बानी और सोख़्तनी क़ुर्बानी और
सलामती की क़ुर्बानी पेश करके नीचे उतर आया।
23 और मूसा और हारून ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में दाख़िल
हुए, और बाहर निकल कर लोगों को बरकत दी; तब सब लोगों
पर ख़ुदावन्द का जलाल नमूदार हुआ।
24 और ख़ुदावन्द के सामने से आग निकली और सोख़्तनी
क़ुर्बानी और चर्बी को मज़बह के ऊपर भसम कर दिया; लोगों
ने यह देख कर ना'रे मारे और सरनगूँ हो गए।

10

[illegible]

1 और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे, अपने — अपने
ख़ुशबूदान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी

आग जिस का हुक्म ख़ुदावन्द ने उनको नहीं दिया था, ख़ुदावन्द
के सामने पेश कीं।
2 और ख़ुदावन्द के सामने से आग निकली और उन दोनों को
खा गई, और वह ख़ुदावन्द के सामने मर गए।
3 *तब मूसा ने हारून से कहा, "यह वही बात है जो ख़ुदावन्द
ने कही थी, कि जो मेरे नज़दीक आएँ ज़रूर है कि वह मुझे पाक
जानें, और सब लोगों के आगे मेरी तम्जीद करें।" और हारून चुप
रहा
4 फिर मूसा ने मीसाएल और अलसफ़न को जो हारून के चचा
उज़्ज़ीएल के बेटे थे, बुला कर उन से कहा, "नज़दीक आओ, और
अपने भाइयों को हैकल के सामने से उठा कर लश्करगाह के बाहर
ले जाओ।"
5 तब वह नज़दीक गए, और उन्हें उनके कुरतों के साथ उठाकर
मूसा के हुक्म के मुताबिक़ लश्करगाह के बाहर ले गए।
6 और मूसा ने हारून और उसके बेटों, इली'एलियाज़र और
ऐतामर से कहा, कि न तुम्हारे सिर के बाल बिखरने पाएँ, और
न तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि न तुम ही मरो, और न सारी
जमा'अत पर उसका ग़ज़ब नाज़िल हो; लेकिन इस्राईल के सब
घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, उस आग पर जो ख़ुदावन्द ने
लगाई है नोहा करें।
7 और तुम ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े से बाहर न
जाना, ता ऐसा न हो कि तुम मर जाओ; क्यूँकि ख़ुदावन्द का
मसह करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने मूसा
के कहने के मुताबिक़ 'अमल किया।

??????? ?? ????????? ?? ???? ??????

8 और ख़ुदावन्द ने हारून से कहा, कि

* **10:3** तब मूसा ने हारुन से कहा यह वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आयें उन्हें मैं खुद ही पाक ज़ाहिर करूँगाऔरसब लोगों के सामने मेरी तम्जीद होगी सो हारुन चुप रहा —

9 “तू या तेरे बेटे मय या शराब पीकर कभी ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ के अन्दर दाख़िल न होना, ताकि तुम मर न जाओ।
यह तुम्हारे लिए नसल — दर — नसल हमेशा तक एक क़ानून
रहेगा;
10 ताकि तुम पाक और 'आम अशिया में, और पाक और नापाक
में तमीज़ कर सको;
11 और बनी — इस्राईल को वह सब तौर — तरीक़े सिखा सको
जो ख़ुदावन्द ने मूसा के ज़रिए' उनको फ़रमाए हैं।”
12 फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों, इली'एलियाज़र और
ऐतामर से जो बाक़ी रह गए थे कहा, कि “ख़ुदावन्द की आतिशी
क़ुर्बानियों में से जो नज़्र की क़ुर्बानी बच रही है उसे ले लो, और
बग़ैर ख़मीर के उसको मज़बह के पास खाओ, क्यूँकि यह बहुत
पाक है;
13 और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए ख़ुदावन्द
की आतिशी क़ुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का यह हक़ है;
क्यूँकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है।
14 और हिलाने की क़ुर्बानी के सीने को, और उठाने की क़ुर्बानी
की रान को तुम लोग या'नी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियाँ भी,
किसी साफ़ जगह में खाना; क्यूँकि बनी — इस्राईल की सलामती
के ज़बीहो में से यह तेरा और तेरे बेटों का हक़ है जो दिया गया
है।
15 और उठाने की क़ुर्बानी की रान और हिलाने की क़ुर्बानी का
सीना, जिसे वह चर्बी की आतिशी क़ुर्बानियों के साथ लाएँगे,
ताकि वह ख़ुदावन्द के सामने हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर
हिलाए जाएँ। यह दोनों हमेशा के लिए ख़ुदावन्द के हुक्म के
मुताबिक़ तेरा और तेरे बेटों का हक़ होगा।”
16 फिर मूसा ने ख़ता की क़ुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश
किया, तो क्या देखता है कि वह जल चुका है। तब वह हारून

के बेटों इली'एलियाज़र और ऐतामर पर, जो बच रहे थे, नाराज़
हुआ और कहने लगा कि,
17 "ख़ता की क़ुर्बानी जो बहुत पाक है और जिसे ख़ुदावन्द ने
तुम को इसलिए दिया है कि तुम जमा'अत के गुनाह को अपने
ऊपर उठा कर ख़ुदावन्द के सामने उनके लिए कफ़्फ़ारा दो, तुम
ने उसका गोश्त हैकल में क्यूँ न खाया?
18 देखो, उसका ख़ून हैकल में तो लाया ही नहीं गया था। पस
तुम्हें लाज़िम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक़ तुम उसे हैकल में खा
लेते।"
19 तब हारून ने मूसा से कहा, "देख, आज ही उन्होंने अपनी
ख़ता की क़ुर्बानी और अपनी सोख़्तनी क़ुर्बानी ख़ुदावन्द के सामने
पेश कीं, और मुझ पर ऐसे — ऐसे हादसे गुज़र गए। तब अगर मैं
आज ख़ता की क़ुर्बानी का गोश्त खाता तो क्या यह बात ख़ुदावन्द
की नज़र में भली होती?"
20 जब मूसा ने यह सुना तो उसे पसन्द आया।

11

[illegible]

1 फ़िर ख़ुदावन्द ने मूसा और हारून से कहा,
2 "तुम बनी — इस्राईल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में
से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वह यह हैं।
3 जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वह
जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ।
4 मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं, उन में से
तुम इन जानवरों को न खाना; या'नी ऊँट को, क्यूँकि वह जुगाली
करता है लेकिन उसके पाँव अलग नहीं, इसलिए वह तुम्हारे लिए
नापाक है।

5 और साफ़ान को, क्यूँकि वह जुगाली करता है लेकिन उसके
पाँव अलग नहीं, वह भी तुम्हारे लिए नापाक है।
6 और ख़रगोश को, क्यूँकि वह जुगाली तो करता है लेकिन
उसके पाँव अलग नहीं, वह भी तुम्हारे लिए नापाक है।
7 और सूअर को, क्यूँकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं
लेकिन वह जुगाली नहीं करता, वह भी तुम्हारे लिए नापाक है।
8 तुम उनका गोश्त न खाना और उन की लाशों को न छूना,
वह तुम्हारे लिए नापाक हैं।
9 "जो जानवर पानी में रहते हैं उन में से तुम इनको खाना,
या'नी समन्दरों और दरियाओं वग़ैरह के जानवरो में, जिनके पर
और छिल्के हों तुम उन्हें खाओ।
10 लेकिन वह सब जानदार जो पानी में या'नी समन्दरों और
दरियाओं वग़ैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर
और छिल्के नहीं होते, वह तुम्हारे लिए मकरूह हैं।
11 और वह तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त न
खाना और उन की लाशों से कराहियत करना।
12 पानी के जिस किसी जानदार के न पर हों और न छिल्के, वह
तुम्हारे लिए मकरूह हैं।
13 'और परिन्दों में जो मकरूह होने की वजह से कभी खाए न
जाएँ और जिन से तुम्हें कराहियत करना है वो यह हैं। उक़ाब और
उस्तख़्वान ख़्वार और लगड़,
14 और चील और हर क़िस्म का बाज़,
15 और हर क़िस्म के कव्वे,
16 और शुतरमुर्ग़ और चुग़द और कोकिल और हर क़िस्म के
शाहीन,
17 और बूम और हड़गीला और उल्लू,
18 और क़ाज़ और हवासिल और गिद्ध,
19 और लक़लक़ और सब क़िस्म के बगुले और हुद — हुद, और

चमगादड़।
20 “और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने चार पाँवों के
बल चलते हैं, वह तुम्हारे लिए मकरूह हैं।
21 मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पाँव के बल
चलते हैं तुम उन जानदारों को खा सकते हो, जिनके ज़मीन के
ऊपर कूदने फाँदने को पाँव के ऊपर टाँगें होती हैं,
22 वह जिन्हें तुम खा सकते हो यह हैं, हर क़िस्म की टिड्डी और
हर क़िस्म का सुलि'आम और हर क़िस्म का झींगर और हर क़िस्म
का टिड्डा।
23 लेकिन सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके चार पाँव हैं,
वह तुम्हारे लिए मकरूह हैं।
24 'और इन से तुम नापाक ठहरोगे, जो कोई इन में से किसी
की लाश को छुए वह शाम तक नापाक रहेगा।
25 और जो कोई इन की लाश में से कुछ भी उठाए वह अपने
कपड़े धो डाले और वह शाम तक नापाक रहेगा।
26 और सब चारपाए जिनके पाँव अलग हैं लेकिन वह चिरे हुए
नहीं और न वह जुगाली करते हैं, वह तुम्हारे लिए नापाक हैं; जो
कोई उन को छुए वह नापाक ठहरेगा।
27 और चार पाँवों पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने
पंजों के बल चलते हैं, वह भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई
उन की लाश को छुए वह शाम तक नापाक रहेगा।
28 और जो कोई उन की लाश को उठाए वह अपने कपड़े धो
डाले और वह शाम तक नापाक रहेगा। यह सब तुम्हारे लिए
नापाक हैं।
29 “और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे
लिए नापाक हैं वह यह हैं, या'नी नेवला और चूहा और हर क़िस्म
की बड़ी छिपकली,
30 और हिरजून और गोह और छिपकली और सान्डा और
गिरगिट।

31 सब रेंगने वाले जानदारों में से यह तुम्हारे लिए नापाक हैं,
जो कोई उनके मरे पीछे उन को छुए वह शाम तक नापाक रहेगा।
32 और जिस चीज़ पर वह मरे पीछे गिरें वह चीज़ नापाक होगी,
चाहे वह लकडी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो,
चाहे किसी का कैसा ही बर्तन हो, ज़रूर है कि वह पानी में डाला
जाए और वह शाम तक नापाक रहेगा, इस के बाद वह पाक
ठहरेगा।
33 और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए
तो जो कुछ उस में है वह नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़
डालना।
34 उसके अन्दर अगर खाने की कोई चीज़ हो जिस में पानी पड़ा
हुआ हो, तो वह भी नापाक ठहरेगी; और अगर ऐसे बर्तन में पीने
के लिए कुछ हो तो वह नापाक होगा
35 और जिस चीज़ पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, चाहे
वह तनूर हो या चूल्हा, वह नापाक होगी और तोड़ डाली जाए।
ऐसी चीज़ें नापाक होती हैं और वह तुम्हारे लिए भी नापाक हों,
36 मगर चश्मा या तालाब जिस में बहुत पानी हो वह पाक
रहेगा, लेकिन जो कुछ उन की लाश से छू जाए वह नापाक होगा।
37 और अगर उन की लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज
पर गिरे तो वह बीज पाक रहेगा;
38 लेकिन अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद
उन की लाश में से कुछ उस पर गिरा हो, तो वह तुम्हारे लिए
नापाक होगा।
39 “और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उन में से
कोई मर जाए तो जो कोई उस की लाश को छुए वह शाम तक
नापाक रहेगा।
40 और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए, वह अपने कपड़े
धो डाले और वह शाम तक नापाक रहेगा; और जो कोई उन की
लाश को उठाए, वह अपने कपड़े धो डाले और वह शाम तक

नापाक रहेगा।

41 'और सब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं, मकरूह हैं और कभी खाए न जाएँ।

42 और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से, जितने पेट या चार पाँवों के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पाँव होते हैं, उनको तुम न खाना क्यूँकि वह मकरूह हैं।

43 और तुम किसी रेंगने वाले जानदार की वजह से जो ज़मीन पर रेंगता है, अपने आप को मकरूह न बना लेना और न उन से अपने आप को नापाक करना के नजिस हो जाओ;

44 क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ, इसलिए अपने आप को पाक करना और पाक होना क्यूँकि मैं क़ुद्दूस हूँ, इसलिए तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो ज़मीन पर चलता है, अपने आप को नापाक न करना;

45 क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द हूँ, और तुमको मुल्क — ए — मिस्र से इसी लिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा ख़ुदा ठहरूँ। इसलिए तुम पाक होना क्यूँकि मैं क़ुद्दूस हूँ।"

46 हैवानात, और परिन्दों, और आबी जानवरों, और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरा' यही है;

47 ताकि पाक और नापाक में, और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते, उनके बीच इम्तियाज़ किया जाए।

12

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,

2 "बनी — इस्राईल से कह कि अगर कोई 'औरत हामिला हो, और उसके लड़का हो तो वह सात दिन तक नापाक रहेगी; जैसे हैज़ के दिनों में रहती है।

3 और आठवें दिन लड़के का ख़तना किया जाए।

4 इसके बाद तैतीस दिन तक वह तहारत के ख़ून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के दिन पूरे न हों तब तक न तो किसी पाक चीज़ को छुए और न हैकल में दाख़िल हो।

5 और अगर उसके लड़की हो तो वह दो हफ़्ते नापाक रहेगी, जैसे हैज़ के दिनों में रहती है। इसके बाद वह छियासठ दिन तक तहारत के ख़ून में रहे।

6 'और जब उसकी तहारत के दिन पूरे हो जाएँ, तो चाहे उसके बेटा हुआ हो या बेटी, वह सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए एक यक — साला बर्रा, और ख़ता की क़ुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर काहिन के पास लाए;

7 और काहिन उसे ख़ुदावन्द के सामने पेश करे और उसके लिए कफ़्फ़ारा दे। तब वह अपने जिरयान — ए — ख़ून से पाक ठहरेगी। जिस 'औरत के लड़का या लड़की हो उसके बारे में शरा' यह है।

8 और अगर उस को बर्रा लाने का मक़दूर न हो तो वह दो कुमरियाँ या कबूतर के दो बच्चे, एक सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए और दूसरा ख़ता की क़ुर्बानी के लिए लाए। यूँ काहिन उसके लिए कफ़्फ़ारा दे तो वह पाक ठहरेगी।”

13

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा और हारून से कहा,

2 “अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म, या पपड़ी, या सफ़ेद चमकता हुआ दाग़ हो, और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ जैसी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन हैं किसी के पास ले जाएँ।

3 और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे, अगर उस बला की जगह के बाल सफ़ेद हो गए हों और वह बला देखने

में खाल से गहरी हो, तो वह कोढ़ का मर्ज़ है; और काहिन उस
शख़्स को देख कर उसे नापाक करार दे।
4 और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग़
सफ़ेद तो हो लेकिन खाल से गहरा न दिखाई दे, और न उसके
ऊपर के बाल सफ़ेद हो गए हों, तो काहिन उस शख़्स को सात
दिन तक बन्द रख्खे;
5 और सातवें दिन काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर वह
बला उसे वहीं के वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल न गई हो, तो
काहिन उसे सात दिन और बन्द रख्खे;
6 और सातवें दिन काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे
कि उस बला की चमक कम है और वह जिल्द के ऊपर फैली भी
नहीं है; तो काहिन उसे पाक क़रार दे क्यूँकि वह पपड़ी है। इसलिए
वह अपने कपड़े धो डाले और साफ़ हो जाए।
7 लेकिन अगर काहिन के उस मुलहज़े के बाद जिस में वह साफ़
क़रार दिया गया था, वह पपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए,
तो वह शख़्स काहिन को फिर दिखाया जाए;
8 और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि वह पपड़ी
जिल्द पर फैल गई है तो वह उसे नापाक क़रार दे; क्यूँकि वह कोढ़
है।
9 "अगर किसी शख़्स को कोढ़ का मर्ज़ हो, तो उसे काहिन के
पास ले जाएँ,
10 और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि जिल्द
पर सफ़ेद वर्म है और उसने बालों को सफ़ेद कर दिया है, और उस
वर्म की जगह का गोश्त ज़िन्दा और कच्चा है,
11 तो यह उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है, इसलिए
काहिन उसे नापाक करार दे लेकिन उसे बन्द न करे क्यूँकि वह
नापाक है।
12 और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ़ फूट आए, और जहाँ
तक काहिन को दिखाई देता है, यही मा'लूम हो कि उस की जिल्द

सिर से पाँव तक कोढ़ से ढंक गई है;
13 तो काहिन ग़ौर से देखे और अगर उस शख़्स का सारा जिस्म
कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज़ को पाक क़रार
दे, क्यूँकि वह सब सफ़ेद हो गया है और वह पाक है।
14 लेकिन जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई
दे, वह नापाक होगा।
15 और काहिन उस कच्चे गोश्त को देख कर उस शख़्स को
नापाक करार दे, कच्चा गोश्त नापाक होता है; वह कोढ़ है।
16 और अगर वह कच्चा गोश्त फिर कर सफ़ेद हो जाए, तो वह
काहिन के पास जाए;
17 और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि मर्ज़ की
जगह सब सफ़ेद हो गई है तो काहिन मरीज़ को पाक क़रार दे;
वह पाक है।
18 'और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा हो कर
अच्छा हो जाए,
19 और फोड़े की जगह सफ़ेद वर्म या सुर्ख़ी माइल चमकता
हुआ सफ़ेद दाग़ हो तो वह दिखाया जाए;
20 और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि वह
खाल से गहरा नज़र आता है और उस पर के बाल भी सफ़ेद हो
गए हैं, तो काहिन उस शख़्स को नापाक करार दे; क्यूँकि वह कोढ़
है जो फोड़े में से फूट कर निकला है।
21 लेकिन अगर काहिन देखे कि उस पर सफ़ेद बाल नहीं, और
वह खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है; तो काहिन
उसे सात दिन तक बन्द रख्खे।
22 और अगर वह जिल्द पर चारों तरफ़ फैल जाए, तो काहिन
उसे नापाक क़रार दे; क्यूँकि वह कोढ़ की बला है।
23 लेकिन अगर वह चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं
का वहीं रहे, और फैल न जाए तो वह फोड़े का दाग़ है; तब काहिन
उस शख़्स को पाक करार दे।

24 “या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए, और उस जली
हुई जगह का ज़िन्दा गोश्त एक सुर्ख़ी माइल चमकता हुआ सफ़ेद
दाग़ या बिल्कुल ही सफ़ेद दाग़ बन जाए
25 तो काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि उस
चमकते हुए दाग़ के बाल सफ़ेद हो गए हैं और वह खाल से गहरा
दिखाई देता है; तो वह कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है;
और काहिन उस शख़्स को नापाक क़रार दे क्यूँकि उसे कोढ़ की
बीमारी है।
26 लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग़ पर सफ़ेद
बाल नहीं, और न वह खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी
कम है, तो वह उसे सात दिन तक बन्द रख्खे;
27 और सातवें दिन काहिन उसे देखे, अगर वह जिल्द पर बहुत
फैल गया हो तो काहिन उस शख़्स को नापाक क़रार दे; क्यूँकि
उसे कोढ़ की बीमारी है।
28 और अगर वह चमकता हुआ दाग़ अपनी जगह पर वहीं का
वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ न हो, बल्कि उसकी चमक भी
कम हो, तो वह सिर्फ़ जल जाने की वजह से फूला हुआ है; और
काहिन उस शख़्स को पाक क़रार दे क्यूँकि वह दाग़ जल जाने की
वजह से है।
29 “अगर किसी मर्द या 'औरत के सिर या ठोड़ी में दाग़ हो,
30 तो काहिन उस दाग़ को मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि
वह खाल से गहरा मा'लूम होता है और उस पर ज़र्द — ज़र्द बारीक
रोंगटे हैं तों काहिन उस शख़्स को नापाक क़रार दे क्यूँकि वह
सा'फ़ा है जो सिर या ठोड़ी का कोढ़ है।
31 और अगर काहिन देखे कि वह सा'फ़ा की बला खाल से गहरी
नहीं मा'लूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं हैं, तो काहिन उस
शख़्स को जिसे सा'फ़ा का मर्ज़ है, सात दिन तक बन्द रख्खे;
32 और सातवें दिन काहिन उस बला का मुलाहिज़ा करे और

अगर देखे कि सा'फ़ा फैला नहीं और उस पर कोई ज़र्द बाल भी
नहीं और सा'फ़ा खाल से गहरा नहीं मा'लूम होता;
33 तो उस शख़्स के बाल मूँडे जाएँ, लेकिन जहाँ सा'फ़ा हो वह
जगह न मूँडी जाए। और काहिन उस शख़्स को जिसे सा'फ़ा का
मर्ज़ है, सात दिन और बन्द रख्खे।
34 फिर सातवें रोज़ काहिन सा'फ़े का मुलाहिज़ा करे, और अगर
देखें कि सा'फ़ा जिल्द में फैला नहीं और न वह खाल से गहरा
दिखाई देता है तो काहिन उस शख़्स को पाक करार दे; और वह
अपने कपड़े धोए और साफ़ हो जाए।
35 लेकिन अगर उस की सफ़ाई के बाद सा'फ़ा उसकी जिल्द
पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे,
36 और अगर सा'फ़ा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नज़र आए
तो काहिन ज़र्द बाल को न ढूँढे क्यूँकि वह शख़्स नापाक है।
37 लेकिन अगर उस को सा'फ़ा अपनी जगह पर वहीं का वहीं
दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों, तो सा'फ़ा
अच्छा हो गया; वह शख़्स पाक है और काहिन उसे पाक क़रार
दे।
38 और अगर किसी मर्द या 'औरत के जिस्म की जिल्द में
चमकते हुए दाग़ या सफ़ेद चमकते हुए दाग़ हों,
39 तो काहिन देखे, और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग
स्याही माइल सफ़ेद रंग के हों, तो वह छीप है जो जिल्द में फूट
निकली है; वह शख़्स पाक है।
40 'और जिस शख़्स के सिर के बाल गिर गए हों, वह गंजा तो
है मगर पाक है।
41 और जिस शख़्स के सर के बाल पेशानी की तरफ़ से गिर गए
हों, वह चँदुला तो है मगर पाक है।
42 लेकिन उस गंजे या चँदले सिर पर सुर्ख़ी माइल सफ़ेद दाग़
हों, तो यह कोढ़ है जो उसके गंजे या चँदले सिर पर निकला है;
43 इसलिए काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर वह देखे कि

उसके गंजे या चँदले सिर पर वह दाग़ ऐसा सुर्ख़ी माइल सफ़ेद
रंग लिए हुए है, जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है,
44 तो वह आदमी कोढ़ी है, वह नापाक है और काहिन उसे ज़रूर
ही नापाक करार दे क्यूँकि वह मर्ज़ उसके सिर पर है।
45 और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तिला हो, उसके कपड़े फटे
और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर के होंट
को ढाँके और चिल्ला — चिल्ला कर कहे, नापाक, नापाक।
46 जितने दिनों तक वह इस बला में मुब्तिला रहे, वह नापाक
रहेगा और वह है भी नापाक। तब वह अकेला रहा करे, उसका
मकान लश्करगाह के बाहर हो।

[illegible]

47 'और वह कपड़ा भी जिस में कोढ़ की बला हो, चाहे वह ऊन
का हो या कतान का;
48 और वह बला भी चाहे कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या
उसके बाने में हो, या वह चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी
चीज़ में हो;
49 अगर वह बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या
बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में सब्ज़ी माइल या सुर्ख़ी माइल
रंग की हो, तो वह कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए।
50 और काहिन उस बला को देखे, और उस चीज़ को जिस में
वह बला है सात दिन तक बन्द रख्खे;
51 और सातवें दिन उस को देखें। अगर वह बला कपड़े के ताने
में या बाने में, या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज़ पर
फैल गई हो, तो वह खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है।
52 और उस ऊन या कतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने
में वह बला है, या चमड़े की उस चीज़ को जिस में वह है जला दे;
क्यूँकि यह खा जाने वाला कोढ़ है। वह आग में जलाया जाए।
53 "और अगर काहिन देखे, कि वह बला कपड़े के ताने में या
बाने में, या चमड़े की किसी चीज़ में फैली हुई नज़र नहीं आती,

54 तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज़ को जिस में वह बला है धोएँ, और वह फिर उसे और सात दिन तक बन्द रख्खे;

55 और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वह फैली भी नहीं है, तो वह नापाक है। तू उस कपड़े को आग में जला देना; क्यूँकि वह खा जाने वाली बला है, चाहे उस का फ़साद अन्दरूनी हो या बैरूनी।

56 और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वह उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से, फाड़ कर निकाल फेंके।

57 और अगर वह बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज़ में दिखाई दे, तो वह फूटकर निकल रही है। तब तू उस चीज़ को जिस में वह बला है आग में जला देना।

58 और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से, या चमड़े की चीज़ में से, जिसे तूने धोया है, वह बला जाती रहे तो वह चीज़ दोबारा धोई जाए और वह पाक ठहरेगी।"

59 ऊन या कतान के ताने या बाने में, या चमड़े की किसी चीज़ में अगर कोढ़ की बला हो, तो उसे पाक या नापाक क़रार देने केलिए शरा' यही है।

14

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,

2 'कोढ़ी के लिए जिस दिन वह पाक क़रार दिया जाए यह शरा' है, कि उसे काहिन के पास ले जाएँ,

3 और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए, और काहिन ख़ुद कोढ़ी को मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है,

4 तो काहिन हुक्म दे कि वह जो पाक क़रार दिए जाने को है,
उसके लिए दो ज़िन्दा पाक परिन्दे और देवदार की लकड़ी और
सुर्ख़ कपड़ा और ज़ूफ़ा लें।
5 और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिन्दा किसी मिट्टी के
बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए।
6 फिर वह ज़िन्दा परिन्दे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख़
कपड़े और ज़ूफ़े को ले, और इन को और उस ज़िन्दा परिन्दे को
उस परिन्दे के ख़ून में ग़ोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका
है।
7 और उस शख़्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है,
सात बार छिड़क कर उसे पाक क़रार दे और ज़िन्दा परिन्दे को
खुले मैदान में छोड़ दे।
8 और वह जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और
सारे बाल मुन्डाए और पानी में ग़ुस्ल करे, तब वह पाक ठहरेगा;
इसके बाद वह लश्करगाह में आए, लेकिन सात दिन तक अपने
ख़ेमे के बाहर ही रहे।
9 और सातवें रोज़ अपने सिर के सब बाल और अपनी दाढ़ी
और अपने अबरू ग़र्ज़ अपने सारे बाल मुंडाए, और अपने कपड़े
धोए और पानी में नहाए, तब वह पाक ठहरेगा।
10 और वह आठवें दिन दो बे — 'ऐब नर बर्रे और एक बे — 'ऐब
यक — साला मादा बर्रा और नज़्र की क़ुर्बानी के लिए *ऐफ़ा के
तीन दहाई हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और †लोज भर
तेल ले।
11 तब वह काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख़्स को जो
पाक करार दिया जाएगा और इन चीज़ों को ख़ुदावन्द के सामने
ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर हाज़िर करे।
12 और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की क़ुर्बानी के

---

* **14:10** 3 किलोग्राम † **14:10** 335 ग्राम

लिए उसे और उस लोज भर तेल की नज़दीक लाए, और उनको
हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने हिलाए;
13 और उस बर्रे को हैकल में उस जगह ज़बह करे जहाँ ख़ता
की क़ुर्बानी और सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते
हैं, क्यूँकि जुर्म की क़ुर्बानी ख़ता की क़ुर्बानी की तरह काहिन का
हिस्सा ठहरेगी; वह बहुत पाक है।
14 और काहिन जुर्म की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून ले और जो शख़्स
पाक क़रार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने
हाथ के अँगूठे पर और दहने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए,
15 और काहिन उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएँ
हाथ की हथेली में डाले;
16 और काहिन अपनी दहनी उँगली को अपने बाएँ हाथ के
तेल में डुबोए, और ख़ुदावन्द के सामने कुछ तेल सात बार अपनी
उँगली से छिड़के।
17 और काहिन अपने हाथ के बाक़ी तेल में से कुछ ले और जो
शख़्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और
उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर, जुर्म की
क़ुर्बानी के ख़ून के ऊपर लगाए।
18 और जो तेल काहिन के हाथ में बाक़ी बचे उसे वह उस शख़्स
के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, यूँ काहिन उसके
लिए ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दे।
19 और काहिन ख़ता की क़ुर्बानी भी पेश करे, और उसके लिए
जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफ़्फ़ारा दे; इसके
बाद वह सोख़्तनी क़ुर्बानी के जानवर को ज़बह करे।
20 फिर काहिन सोख़्तनी कुबानी और नज़्र की क़ुर्बानी को
मज़बह पर अदा करे। यूँ काहिन उसके लिए कफ़्फ़ारा दे तो वह
पाक ठहरेगा।
21 “और अगर वह ग़रीब हो और इतना उसे मक़दूर न हो तो

वह हिलाने के लिए जुर्म की क़ुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले ताकि
उसके लिए कफ़्फ़ारा दिया जाए और नज़्र की क़ुर्बानी के लिए
ऐफ़ा के दसवें हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज
भर तेल,
22 और अपने मक़्दूर के मुताबिक़ दो कुमरियाँ या कबूतर के
दो बच्चे भी ले, जिन में से एक तो ख़ता की क़ुर्बानी के लिए और
दूसरा सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए हो।
23 इन्हें वह आठवें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए
काहिन के पास ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर
ख़ुदावन्द के सामने लाए।
24 और काहिन जुर्म की क़ुर्बानी के बर्रे को और उस लोज भर
तेल को लेकर उनको ख़ुदावन्द के सामने हिलाने की क़ुर्बानी के
तौर पर हिलाए।
25 फिर काहिन जुर्म की क़ुर्बानी के बर्रे को ज़बह करे, और वह
जुर्म की क़ुर्बानी का कुछ ख़ून लेकर जो शख़्स पाक क़रार दिया
जाएगा, उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और
दहने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए।
26 फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएँ हाथ की हथेली
में डाले,
27 और वह अपने बाएँ हाथ के तेल में से कुछ अपनी दहनी
उँगली से ख़ुदावन्द के सामने सात बार छिड़के।
28 फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख़्स
पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और उसके
दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर, जुर्म की क़ुर्बानी
के ख़ून की जगह उसे लगाए;
29 और जो तेल काहिन के हाथ में बाक़ी बचे उसे वह उस शख़्स
के सिर में डाल दे जो पाक क़रार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए
ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दिया जाए।

30 फिर वह कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वह ला
सका हो एक को अदा करे,
31 या'नी जो कुछ उसे मयस्सर हुआ हो उस में से एक को ख़ता
की क़ुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख़्तनी क़ुर्बानी के तौर पर,
नज़्र की क़ुर्बानी के साथ पेश करे। यूँ काहिन उस शख़्स के लिए
जो पाक क़रार दिया जाएगा, ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दे।
32 उस कोढ़ी के लिए जो अपने पाक क़रार दिए जाने के सामान
को लाने का मक़दूर न रखता हो शरा' यह है।"

[illegible]

33 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा और हारून से कहा,
34 "जब तुम मुल्क — ए — कनान में जिसे मैं तुम्हारी
मिल्कियत किए देता हूँ दाख़िल हो, और मैं तुम्हारे मीरासी मुल्क
के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूँ।
35 तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को ख़बर दे कि मुझे
ऐसा मा'लूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है।
36 तब काहिन हुक्म करे कि इससे पहले कि उस बला को देखने
के लिए काहिन वहाँ जाए लोग उस घर को ख़ाली करें, ताकि जो
कुछ घर में हो वह नापाक न ठहराया जाए। इसके बाद काहिन
घर देखने को अन्दर जाए।
37 और उस बला को मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि वह
बला उस घर की दीवारों में सब्ज़ी या सुर्ख़ीमाइल गहरी लकीरों
की सूरत में है, और दीवार में सतह के अन्दर नज़र आती है,
38 तो काहिन घर से बाहर निकल कर घर के दरवाज़े पर जाए
और घर को सात दिन के लिए बन्द कर दे;
39 और वह सातवें दिन फिर आकर उसे देखें। अगर वह बला
घर की दीवारों में फैली हुई नज़र आए,

40 तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिन में वह बला है,
निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें।
41 फिर वह उस घर को अन्दर ही अन्दर चारों तरफ़ से खुर्चवाए,
और उस खुर्ची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह
में डालें।
42 और वह उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं और
काहिन ताज़ा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए।
43 और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुर्च और
अस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वह बला फिर आ जाए और
उस घर में फूट निकले,
44 तो काहिन अन्दर जाकर मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि
वह बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है;
वह नापाक है।
45 तब वह उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी
सारी मिट्टी को गिरा दे; और वह उनको शहर के बाहर निकाल कर
किसी नापाक जगह में ले जाए।
46 इसके सिवा, अगर कोई उस घर के बन्द कर दिए जाने के
दिनों में उसके अन्दर दाख़िल हो तो वह शाम तक नापाक रहेगा;
47 और जो कोई उस घर में सोए वह अपने कपड़े धो डाले, और
जो कोई उस घर में कुछ खाए वह भी अपने कपड़े धोए।
48 "और अगर काहिन अन्दर जाकर मुलाहिज़ा करे और देखे
कि घर की अस्तरकारी के बाद वह बला उस घर में नहीं फैली, तो
वह उस घर को पाक क़रार दे क्यूँकि वह बला दूर हो गई।
49 और वह उस घर को पाक करार देने के लिए दो परिन्दे और
देवदार की लकड़ी और सुर्ख़ कपड़ा और ज़ूफ़ा ले,
50 और वह उन परिन्दों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में
बहते हुए पानी पर ज़बह करे;
51 फिर वह देवदार की लकड़ी और ज़ूफ़ा और सुर्ख़ कपड़े और

उस ज़िन्दा परिन्दे को लेकर उनको उस ज़बह किए हुए परिन्दे के
ख़ून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और सात बार उस घर
पर छिड़के।
52 और वह उस परिन्दे के ख़ून से, और बहते हुए पानी और
ज़िन्दा परिन्दे और देवदार की लकड़ी और ज़ूफ़े और सुर्ख़ कपड़े
से उस घर को पाक करे;
53 और उस ज़िन्दा परिन्दे को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़
दे; यूँ वह घर के लिए कफ़्फ़ारा दे, तो वह पाक ठहरेगा।"
54 कोढ़ की हर क़िस्म की बला के, और साफ़े के लिए,
55 और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए,
56 और वर्म और पपड़ी, और चमकते हुए दाग़ के लिए शरा'
यह है;
57 ताकि बताया जाए कि कब वह नापाक और कब पाक करार
दिए जाएँ। कोढ़ के लिए शरा' यही है।

15

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा और हारून से कहा कि;
2 "बनी — इस्राईल से कहो कि अगर किसी शख़्स की जिरयान
का मर्ज़ हो तो वह जिरयान की वजह से नापाक है;
3 और जिरयान की वजह से उसकी नापाकी यूँ होगी, कि चाहे
धात बहती हो या धात का बहना ख़त्म हो गया हो वह नापाक
है।
4 जिस बिस्तर पर जिरयान का मरीज़ सोए वह बिस्तर नापाक
होगा, और जिस चीज़ पर वह बैठे वह चीज़ नापाक होगी।
5 और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वह अपने कपड़े धोए
और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे।

6 और जो कोई उस चीज़ पर बैठे जिस पर जिरयान का मरीज़
बैठा हो, वह अपने कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम
तक नापाक रहे।
7 और जो कोई जिरयान के मरीज़ के जिस्म को छुए, वह भी
अपने कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक
रहे।
8 और अगर जिरयान का मरीज़ किसी शख़्स पर जो पाक है।
थूक दे, तो वह शख़्स अपने कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे
और शाम तक नापाक रहे।
9 और जिस ज़ीन पर जिरयान का मरीज़ सवार हो, वह ज़ीन
नापाक होगा।
10 और जो कोई किसी चीज़ को जो उस मरीज़ के नीचे रही
हो छुए, वह शाम तक नापाक रहे; और जो कोई उन चीज़ों को
उठाए, वह अपने कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम
तक नापाक रहे।
11 और जिस शख़्स की जिरयान का मरीज़ बग़ैर हाथ धोए छुए,
वह अपने कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक
रहे।
12 और मिट्टी के जिस बर्तन को जिरयान का मरीज़ छुए, वह
तोड़ डाला जाए; लेकिन चोबी बर्तन पानी से धोया जाए।
13 'और जब जिरयान के मरीज़ को शिफ़ा हो जाए, तो वह
अपने पाक ठहरने के लिए सात दिन गिने; इस के बाद वह अपने
कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए तब वह पाक होगा।
14 और आठवें दिन दो क़ुमरियाँ या कबूतर के दो बच्चे लेकर
वह ख़ुदावन्द के सामने ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर
जाए, और उन को काहिन के हवाले करे;
15 और काहिन एक को ख़ता की क़ुर्बानी के लिए, और दूसरे को
सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए पेश करे। यूँ काहिन उसके लिए उसके

जिरयान की वजह से ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दे।
16 'और अगर किसी मर्द की धात बहती हो, तो वह पानी में
नहाए और शाम तक नापाक रहे।
17 और जिस कपड़े या चमड़े पर नुत्फ़ा लग जाए, वह कपड़ा
या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे।
18 और वह 'औरत भी जिसके साथ मर्द सुहबत करे और
मुन्ज़िल हो, तो वह दोनों पानी से ग़ुस्ल करें और शाम तक नापाक
रहे।
19 'और अगर किसी 'औरत को ऐसा जिरयान हो कि उसे हैज़
का ख़ून आए, तो वह सात दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई
उसे छुए वह शाम तक नापाक रहेगा।
20 और जिस चीज़ पर वह अपनी नापाकी की हालत में सोए
वह चीज़ नापाक होगी, और जिस चीज़ पर बैठे वह भी नापाक हो
जाएगी।
21 और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वह अपने कपड़े धोए
और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे।
22 और जो कोई उस चीज़ को जिस पर वह बैठी हो छुए, वह
अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे।
23 और अगर उसका ख़ून उसके बिस्तर पर या जिस चीज़ पर
वह बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक़्त कोई उस चीज़
को छुए, तो वह शाम तक नापाक रहे।
24 और अगर मर्द उसके साथ सुहबत करे और उसके हैज़ का
ख़ून उसे लग जाए, तो वह सात दिन तक नापाक रहेगा और हर
एक बिस्तर जिस पर वह मर्द सोएगा नापाक होगा।
25 'और अगर किसी 'औरत को हैज़ के दिन को छोड़कर यूँ
बहुत दिनों तक ख़ून आए या हैज़ की मुद्दत गुज़र जाने पर भी
ख़ून जारी रहे, तो जब तक उस को यह मैला ख़ून आता रहेगा
तब तक वह ऐसी ही रहेगी जैसी हैज़ के दिनों में रहती है, वह

नापाक है।
26 और इस जिरयान — ए — ख़ून के कुल दिनों में जिस —
जिस बिस्तर पर वह सोएगी, वह हैज़ के बिस्तर की तरह नापाक
होगा; और जिस — जिस चीज़ पर वह बैठेगी, वह चीज़ हैज़ की
नजासत की तरह नापाक होगी।
27 और जो कोई उन चीज़ों को छुए वह नापाक होगा, वह अपने
कपड़े धोए और पानी से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे।
28 और जब वह अपने जिरयान से शिफ़ा पा जाए तो सात दिन
गिने, तब इसके बाद वह पाक ठहरेगी।
29 और आठवें दिन वह दो कुमरियाँ या कबूतर के दो बच्चे लेकर
उनको ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर काहिन के पास
लाए।
30 और काहिन एक को ख़ता की क़ुर्बानी के लिए और दूसरे को
सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए पेश करे, यूँ काहिन उसके नापाक ख़ून
के जिरयान के लिए ख़ुदावन्द के सामने उस की तरफ़ से कफ़्फ़ारा
दे।
31 "इस तरीक़े से तुम बनी — इस्राईल को उन की नजासत से
अलग रखना, ताकि वह मेरे हैकल की जो उनके बीच है नापाक
करने की वजह से अपनी नजासत में हलाक न हों।"
32 उसके लिए जिसे जिरयान का मर्ज़ हो, और उसके लिए जिस
की धात बहती हो, और वह उसकी वजह से नापाक हो जाए,
33 और उसके लिए जो हैज़ से हो, और उस मर्द और 'औरत
के लिए जिनको जिरयान का मर्ज़ हो, और उस मर्द के लिए जो
नापाक 'औरत के साथ सुहबत करे शरा' यही है।

16

□□□□□□□ □□ □□□

1 *और हारून के दो बेटों की वफ़ात के बाद जब वह ख़ुदावन्द

* **16:1** ख़ुदावंद तक पहुँचते वक़्त जब हारुन के दोनों बेटेमर चुके थे तब ख़ुदावंद ने मूसा से बात की

के नज़दीक आए और मर गए।

2 ख़ुदावन्द मूसा से हम कलाम हुआ; और ख़ुदावन्द ने मूसा
से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वह हर वक़्त पर्दे के अन्दर
के पाकतरीन मक़ाम में सरपोश के पास जो सन्दूक के ऊपर है न
आया करे, ताकि वह मर न जाए; क्यूँकि मैं सरपोश पर बादल में
दिखाई दूँगा।

3 और हारून पाकतरीन मक़ाम में इस तरह आए कि ख़ता की
क़ुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए एक
मेंढा लाए।

4 और वह कतान का पाक कुरता पहने, और उसके तन पर
कतान का पाजामा हो, और कतान के कमरबन्द से उसकी कमर
कसी हुई हो, और कतान ही का 'अमामा उसके सिर पर बँधा हो;
यह पाक लिबास हैं और वह इन को पानी से नहा कर पहने

5 और बनी — इस्राईल की जमा'अत से ख़ता की क़ुर्बानी के
लिए दो बकरे और सोख़्तनी क़ुर्बानी के लिए एक मेंढा ले।

6 और हारून ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ़ से
है पेश कर अपने और अपने घर के लिए कफ़्फ़ारा दे।

7 फिर उन दोनों बकरों को लेकर उन को ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ के दरवाज़े पर ख़ुदावन्द के सामने खड़ा करे।

8 और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी
ख़ुदावन्द के लिए और दूसरी 'अज़ाज़ेल के लिए हो।

9 और जिस बकरे पर ख़ुदावन्द के नाम की चिट्ठी निकले उसे
हारून लेकर ख़ता की क़ुर्बानी के लिए अदा करे;

10 लेकिन जिस बकरे पर 'अज़ाज़ेल के नाम की चिट्ठी निकले
वह ख़ुदावन्द के सामने ज़िन्दा खड़ा किया जाए, ताकि उससे
कफ़्फ़ारा दिया जाए और वह 'अज़ाज़ेल के लिए वीराने में छोड़
दिया जाए।

11 “और हारून ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े की जो उस की तरफ़

से है, आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफ़्फ़ारा दे, और
उस बछ्ड़े को जो उस की तरफ़ से ख़ता की क़ुर्बानी के लिए है
ज़बह करे।
12 और वह एक ख़ुशबूदान को ले जिसमें ख़ुदावन्द के मज़बह
पर की आग के अंगारे भर हों और अपनी मुट्ठियाँ बारीक ख़ुशबूदार
ख़ुशबू से भर ले और उसे पर्दे के अन्दर लाए
13 और उस ख़ुशबू को ख़ुदावन्द के सामने आग में डाले, ताकि
ख़ुशबू का धुआँ सरपोश को जो शहादत के सन्दूक के ऊपर है
छिपा ले, कि वह हलाक न हो।
14 फिर वह उस बछ्ड़े का कुछ ख़ून लेकर उसे अपनी उँगली
से पूरब की तरफ़ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे
भी कुछ ख़ून अपनी उँगली से सात बार छिड़के।
15 फिर वह ख़ता की क़ुर्बानी के उस बकरे को ज़बह करे जो
जमा'अत की तरफ़ से है और उसके ख़ून को पर्दे के अन्दर लाकर
जो कुछ उसने बछ्ड़े के ख़ून से किया था वही इससे भी करे, और
उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के।
16 और बनी — इस्राईल की सारी नापाकियों, और गुनाहों,
और ख़ताओं की वजह से पाकतरीन मक़ाम के लिए कफ़्फ़ारा दे;
और ऐसा ही वह ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के लिए भी करे जो
उनके साथ उन की नापाकियों के बीच रहता है।
17 और जब वह कफ़्फ़ारा देने को पाकतरीन मक़ाम के अन्दर
जाए, तो जब तक वह अपने और अपने घराने और बनी —
इस्राईल की सारी जमा'अत के लिए कफ़्फ़ारा देकर बाहर न आ
जाए उस वक़्त तक कोई आदमी ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के
अन्दर न रहे
18 फिर वह निकल कर उस मज़बह के पास जो ख़ुदावन्द के
सामने है जाए और उसके लिए कफ़्फ़ारा दे, और उस बछ्ड़े और
बकरे का थोड़ा — थोड़ा सा ख़ून लेकर मज़बह के सींगों पर चारों

तरफ़ लगाए;
19 और कुछ ख़ून उसके ऊपर सात बार अपनी उँगली से छिड़के
और उसे बनी — इस्राईल की नापाकियों से पाक और पाक करे।
20 और जब वह पाकतरीन मक़ाम और ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ और मज़बह के लिए कफ़्फ़ारा दे चुके तो उस ज़िन्दा
बकरे को आगे लाए;
21 और हारून अपने दोनों हाथ उस ज़िन्दा बकरे के सिर पर रख
कर उसके ऊपर बनी — इस्राईल की सब बदकारियों, और उनके
सब गुनाहों, और ख़ताओं का इक़रार करे और उन को उस बकरे
के सिर पर धर कर उसे किसी शख़्स के हाथ जो इस काम के लिए
तैयार ही वीरान में भिजवा दे।
22 और वह बकरा उनकी सब बदकारियाँ अपने ऊपर लादे हुए
किसी वीरान में ले जाएगा, इसलिए वह उस बकरे को वीराने में
छोड़े दे।
23 "फिर हारून ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में आकर कतान के
सारे लिबास को जिसे उसने पाकतरीन मक़ाम में जाते वक़्त पहना
था उतारे और उसकी वहीं रहने दे।
24 फिर वह किसी पाक जगह में पानी से ग़ुस्ल करके अपने
कपड़े पहन ले, और बाहर आ कर अपनी सोख़्तनी क़ुर्बानी और
जमा'त की सोख़्तनी क़ुर्बानी पेश करे और अपने लिए और
जमा'अत के लिए कफ़्फ़ारा दे।
25 और ख़ता की क़ुर्बानी की चर्बी को मज़बह पर जलाए।
26 और जो आदमी बकरे को 'अज़ाज़ेल के लिए छोड़ कर
आए, वह अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए, इसके बाद वह
लश्करगाह में दाख़िल हो।
27 और ख़ता की क़ुर्बानी के बछड़े को और ख़ता की क़ुर्बानी
के बकरे को जिन का ख़ून पाकतरीन मक़ाम में कफ़्फ़ारे के लिए
पहुँचाया जाए, उन को वह लश्करगाह से बाहर ले जाएँ, और
उनकी खाल और गोश्त और फ़ुज़लात को आग में जला दें:

28 और जो उन को जलाए वह अपने कपड़े धोए और पानी से
ग़ुस्ल करे, उसके बाद वह लश्करगाह में दाख़िल हो।
29 "और यह तुम्हारे लिए एक हमेशा का क़ानून हो कि सातवें
महीने की दसवीं तारीख़ को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना,
और उस दिन कोई चाहे वह देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच
बूद — ओ — बाश रखता हो किसी तरह का काम न करे;
30 क्यूँकि उस रोज़ तुम्हारे लिए तुम को पाक करने के लिए
कफ़्फ़ारा दिया जाएगा, इसलिए तुम अपने सब गुनाहों से
ख़ुदावन्द के सामने पाक ठहरोगे।
31 †यह तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत होगा। तुम उस
दिन अपनी अपनी जान को दुख देना; यह हमेशा का क़ानून है।
32 और जो अपने बाप की जगह काहिन होने के लिए मसह
और मख़्सूस किया जाए, वह काहिन कफ़्फ़ारा दिया करे; या'नी
कतान के पाक लिबास को पहनकर
33 वह हैकल के लिए कफ़्फ़ारा दे, और ख़ेमा — ए —
इजितमा'अ और मज़बह के लिए कफ़्फ़ारा दे, और काहिनों और
जमा'अत के सब लोगों के लिए कफ़्फ़ारा दे।
34 इसलिए यह तुम्हारे लिए एक हमेशा क़ानून हो कि तुम
बनी — इस्राईल के लिए साल में एक दफ़ा' उनके सब गुनाहों का
कफ़्फ़ारा दो।" और उसने जैसा ख़ुदावन्द ने मूसा को हुक्म दिया
था वैसा ही किया।

17

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 'हारून और उसके बेटों से और सब बनी — इस्राईल से कह
कि ख़ुदावन्द ने यह हुक्म दिया है कि

† **16:31** यह सबत के आराम का दिन है और तुमको खुद का इनकार करना ज़रूरी है, यह हमेशा का हुक्म है —

3 इस्राईल के घराने का जो कोई शख़्स बैल या बर्रे या बकरे को
चाहे लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़बह कर के
4 उसे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर, ख़ुदावन्द के
घर के आगे, ख़ुदावन्द के सामने चढ़ाने को न ले जाए, उस शख़्स
पर ख़ून का इल्ज़ाम होगा कि उसने ख़ून किया है; और वह शख़्स
अपने लोगों में से काट डाला जाए।
5 इससे मक़सूद यह है कि बनी — इस्राईल अपनी क़ुर्बानियाँ,
जिनको वह खुले मैदान में ज़बह करते हैं, उन्हें ख़ुदावन्द के सामने
ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर काहिन के पास लाएँ
और उनको ख़ुदावन्द के सामने सलामती के ज़बीहों के तौर पर
पेश करें,
6 और काहिन उस ख़ून को ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के
दरवाज़े पर ख़ुदावन्द के मज़बह के ऊपर छिड़के और चर्बी को
जलाए, ताकि ख़ुदावन्द के लिए राहतअंगेज़ ख़ुशबू हो।
7 *और आइन्दा कभी वह उन †बकरों के लिए जिनके पैरौ होकर
वह ज़िनाकार ठहरें हैं, अपनी क़ुर्बानियाँ न पेश करे। उनके लिए
नसल — दर — नसल यह हमेशा क़ानून होगा।
8 "इसलिए तू उन से कह दे कि इस्राईल के घराने का या उन
परदेसियों में से जो उनमें क़याम करते हैं जो कोई सोख़्तनी क़ुर्बानी
या कोई ज़बीहा पेश कर,
9 उसे ख़ेमा — ए — इजितमा'अ के दरवाज़े पर ख़ुदावन्द के
सामने चढ़ाने को न लाए; वह अपने लोगों में से काटडाला जाए।
10 "और इस्राईल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें
क़याम करते हैं जो कोई किसी तरह का ख़ून खाए, मैं उस ख़ून खाने

---

* **17:7** बकरों की मूर्तियाँ — — — — अफरियत, भूत (शैतान) † **17:7** ख़ुदावंद का वफ़ादारहोने का दावा करते वक़्त एक शख़्स जब दीगर माबूद की परस्तिश करे या क़ुरबानी गुज़राने तो वह एक ज़िनाकार की मानिंद है जो अपनी बीवी को धोका देता और अपने वायदे में ग़ैर वफ़ादार है, इसी लिए पुराना अहदनामा अक्सर इस तस्वीर को पेश करता है — देखें: ख़ुरुज 20:4 — 6; 34:15 — 16 और होशे की किताब का असल मक़सद भी यही है

वाले के खिलाफ़ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूँगा।
11 क्यूँकि जिस्म की जान ख़ून में है; और मैंने मज़बह पर
तुम्हारी जानों के कफ़्फ़ारे के लिए उसे तुम को दिया है कि उससे
तुम्हारी जानों के लिए कफ़्फ़ारा हो; क्यूँकि जान रखने ही की
वजह से ख़ून कफ़्फ़ारा देता है।
12 इसीलिए मैंने बनी — इस्राईल से कहा है कि तुम में से कोई
शख़्स ख़ून कभी न खाए, और न कोई परदेसी जो तुम में क़याम
करता हो कभी ख़ून को खाए।
13 "और बनी — इस्राईल में से या उन परदेसियों में से जो
उनमें क़याम करते हैं जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिन्दे
को पकड़े जिसका खाना ठीक है, तो वह उसके ख़ून को निकाल
कर उसे मिट्टी से ढॉक दे।
14 क्यूँकि जिस्म की जान जो है वह उस का ख़ून है, जो उसकी
जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी — इस्राईल को हुक्म
किया है कि तुम किसी क़िस्म के जानवर का ख़ून न खाना, क्यूँकि
हर जानवर की जान उसका ख़ून ही है; जो कोई उसे खाए वह काट
डाला जाएगा।
15 और जो शख़्स मुरदार को या दरिन्दे के फाड़े हुए जानवर को
खाए, वह चाहे देसी हो या परदेसी अपने कपड़े धोए और पानी
से ग़ुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे; तब वह पाक होगा।
16 लेकिन अगर वह उनको न धोए और न ग़ुस्ल करे, तो उसका
गुनाह उसी के सिर लगेगा।"

18

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 बनी — इस्राईल से कह कि मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।

3 तुम मुल्क — ए — मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे, न
करना और मुल्क — ए — कना'न के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें
लिए जाता हूँ, न करना और न उनकी रस्मों पर चलना।
4 तुम मेरे हुक्मों पर 'अमल करना और मेरे क़ानून को मान कर
उन पर चलना। मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
5 इसलिए तुम मेरे आईन और अहकाम मानना, जिन पर अगर
कोई 'अमल करे तो वह उन ही की बदौलत ज़िन्दा रहेगा। मैं
ख़ुदावन्द हूँ।
6 "तुम में से कोई अपनी किसी क़रीबी रिश्तेदार के पास उसके
बदन को बे — पर्दा करने के लिए न जाए। मैं ख़ुदावन्द हूँ।
7 तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बे — पर्दा
न करना; क्यूँकि वह तेरी माँ है, तू उसके बदन को बे — पर्दा न
करना।
8 तू अपने बाप की बीवी के बदन को बे — पर्दा न करना, क्यूँकि
वह तेरे बाप का बदन है।
9 तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वह तेरे बाप की बेटी हो
चाहे तेरी माँ की और चाहे वह घर में पैदा हुई हो चाहे और कहीं,
बे — पर्दा न करना।
10 तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बे — पर्दा न करना
क्यूँकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है।
11 तेरे बाप की बीवी की बेटी, जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी
बहन है; तू उसके बदन को बे — पर्दा न करना।
12 तू अपनी फूफी के बदन को बे — पर्दा न करना, क्यूँकि वह
तेरे बाप की क़रीबी रिश्तेदार है।
13 तू अपनी ख़ाला के बदन को बेपर्दा न करना, क्यूँकि वह तेरी
माँ की क़रीबी रिश्तेदार है।
14 तू अपने बाप के भाई के बदन को बे — पर्दा न करना, या'नी
उस की बीवी के पास न जाना, वह तेरी चची है।

15 तू अपनी बहू के बदन को बे — पर्दा न करना, क्यूँकि वह तेरे
बेटे की बीवी है, इसलिए तू उसके बदन को बे — पर्दा न करना।
16 तू अपनी भावज के बदन को बे — पर्दा न करना, क्यूँकि वह
तेरे भाई का बदन है।
17 तू किसी 'औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा न
करना; और न तू उस 'औरत की पोती या नवासी से ब्याह कर के
उस में से किसी के बदन को बे — पर्दा करना, क्यूँकि वह दोनों उस
'औरत की क़रीबी रिश्तेदार हैं: यह बड़ी ख़बासत है।
18 तू अपनी साली से ब्याह कर के उसे अपनी बीवी की सौतन
न बनाना, कि दूसरी के जीते जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे।
19 “और तू 'औरत के पास जब तक वह हैज़ की वजह से नापाक
है, उसके बदन को बे — पर्दा करने के लिए न जाना।
20 और तू अपने को नजिस करने के लिए अपने पड़ोसी की
बीवी से सुहबत न करना।
21 तू अपनी औलाद में से किसी को मोलक की ख़ातिर आग
में से पेश करने के लिए न देना, और न अपने ख़ुदा के नाम को
नापाक ठहराना। मैं ख़ुदावन्द हूँ।
22 तू मर्द के साथ सुहबत न करना जैसे 'औरत से करता है; यह
बहुत मकरूह काम है।
23 तू अपने को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सुहबत
न करना, और न कोई 'औरत किसी जानवर से हम — सुहबत होने
के लिए उसके आगे खड़ी हो; क्यूँकि यह औंधी बात है।
24 “तुम इन कामों में से किसी में फँस कर आलूदा न हो जाना,
क्यूँकि जिन क़ौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वह इन सब
कामों की वजह से आलूदा हैं।
25 और उन का मुल्क भी आलूदा हो गया है; इसलिए मैं उसकी
बदकारी की सज़ा उसे देता हूँ, ऐसा कि वह अपने बाशिन्दों को

उगले देता है।
26 लिहाज़ा तुम मेरे आईन और अहकाम को मानना और तुम
में से कोई, चाहे वह देसी हो या परदेसी जो तुम में क़याम रखता
हो, इन मकरूहात में से किसी काम को न करे;
27 क्यूँकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे यह सब
मकरूह काम किये हैं और मुल्क आलूदा हो गया है।
28 इसलिए ऐसा न हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस क़ौम को
जो तुमसे पहले वहाँ थी उगल दिया, उसी तरह तुम को भी जब
तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे।
29 क्यूँकि जो इन मकरूह कामों में से किसी को करेगा, वह
अपने लोगों में से काट डाला जाएगा।
30 इसलिए मेरी शरी'अत को मानना, और यह मकरूह रस्में
जो तुमसे पहले अदा की जाती थीं, इनमें से किसी को 'अमल में
न लाना और इन में फँस कर आलूदा न हो जाना। मैं ख़ुदावन्द
तुम्हारा ख़ुदा हूँ।"

19

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 "बनी — इस्राईल की सारी जमा'अत से कह कि तुम पाक
रहो; क्यूँकि मैं जो ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ पाक हूँ
3 तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे,
और तुम मेरे सबतों को मानना; मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
4 तुम बुतों की तरफ़ रुजू' न होना, और न अपने लिए ढाले हुए
मा'बूद बनाना; मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
5 "और जब तुम ख़ुदावन्द के सामने सलामती के ज़बीहे पेश
करो, तो उनको इस तरह पेश करना कि तुम मक़बूल हो।

6 और जिस दिन उसे पेश करो उस दिन और दूसरे दिन वह
खाया जाए, और अगर तीसरे दिन तक कुछ बचा रह जाए तो
वह आग में जला दिया जाए।
7 और अगर वह ज़रा भी तीसरे दिन खाया जाए, तो मकरूह
ठहरेगा और मक़बूल न होगा;
8 बल्कि जो कोई उसे खाए उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा,
क्यूँकि उसने ख़ुदावन्द की पाक चीज़ को नजिस किया; इसलिए
वह शख़्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा।
9 "और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फ़स्ल काटो,
तो अपने खेत के कोने — कोने तक पूरा — पूरा न काटना और न
कटाई की गिरी — पड़ी बालों को चुन लेना।
10 और तू अपने अंगूरिस्तान का दाना — दाना न तोड़ लेना,
और न अपने अंगूरिस्तान के गिरे हुए दानों को जमा' करना;
उनको ग़रीबों और मुसाफ़िरों के लिए छोड़ देना। मैं ख़ुदावन्द
तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
11 "तुम चोरी न करना और न दग़ा देना और न एक दूसरे से
झूट बोलना।
12 और तुम मेरा नाम लेकर झूटी क़सम न खाना जिससे तू
अपने ख़ुदा के नाम को नापाक ठहराए; मैं ख़ुदावन्द हूँ।
13 "तू अपने पड़ोसी पर न ज़ुल्म करना, न उसे लूटना। मज़दूर
की मज़दूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने न पाए।
14 तू बहरे को न कोसना, और न अन्धे के आगे ठोकर खिलाने
की चीज़ को धरना, बल्कि अपने ख़ुदा से डरना। मैं ख़ुदावन्द हूँ।
15 "तुम फ़ैसले में नारास्ती न करना, न तो ग़रीब की रि'आयत
करना और न बड़े आदमी का लिहाज़; बल्कि रास्ती के साथ अपने
पड़ोसी का इन्साफ़ करना।
16 तू अपनी क़ौम में इधर — उधर लुतरापन न करते फिरना,

और *न अपने पड़ोसी का ख़ून करने पर आमादा होना; मैं
ख़ुदावन्द हूँ।
17 तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ न रखना; और अपने
पड़ोसी को ज़रूर डाँटते भी रहना, ताकि उसकी वजह से तेरे सिर
गुनाह न लगे।
18 तू इन्तक़ाम न लेना, और न अपनी क़ौम की नसल से कीना
रखना, बल्कि अपने पड़ोसी से अपनी तरह मुहब्बत करना; मैं
ख़ुदावन्द हूँ।
19 “तू मेरी शरी'अतों को मानना: तू अपने चौपायों को ग़ैर
जिन्स से भरवाने न देना, और अपने खेत में दो क़िस्म के बीज
एक साथ न बोना, और न तुझ पर दो क़िस्म के मिले जुले तार का
कपड़ा हो।
20 “अगर कोई ऐसी 'औरत से सुहबत करे जो लौंडी और किसी
शख़्स की मंगेतर हो, और न तो उसका फ़िदिया ही दिया गया हो
और न वह आज़ाद की गई हो, तो उन दोनों की सज़ा मिले लेकिन
वह जान से मारे न जाएँ इसलिए कि वह 'औरत आज़ाद न थी।
21 और वह आदमी अपने जुर्म की क़ुर्बानी के लिए ख़ेमा — ए
— इजितमा'अ के दरवाज़े पर ख़ुदावन्द के सामने एक मेंढा लाए
कि वह उसके जुर्म की क़ुर्बानी हो।
22 और काहिन उसके जुर्म की क़ुर्बानी के मेंढे से उसके लिए
ख़ुदावन्द के सामने कफ़्फ़ारा दे, तब जो ख़ता उसने की है वह उसे
मु'आफ़ की जाएगी।
23 और जब तुम उस मुल्क में पहुँचकर क़िस्म — क़िस्म के फल
के दरख़्त लगाओ तो तुम उनके फल को जैसे† नामख़्तून समझना
वह तुम्हारे लिए तीन बरस तक नामख़्तून के बराबर हों और खाए
न जाएँ।

---

* **19:16** तू अपने पड़ौसी के ख़ून का मुजरिम न टहरना, या ऐसा कुछ न करनाजिस से तेरे पड़ौसी की ज़िन्दगी को ख़तरा हो — † **19:23** मना किया हुआ, ना मख़्तून

24 और चौथे साल उनका सारा फल ख़ुदावन्द की तम्जीद करने
के लिए पाक होगा।
25 तब पाँचवे साल से उनका फल खाना ताकि वह तुम्हारे लिए
इफ़रात के साथ पैदा हों। मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
26 "तुम किसी चीज़ को ख़ून के साथ न खाना। और न जादू
मंतर करना, न शगुन निकालना।
27 तुम अपने अपने सिर के गोशों को बाल काट कर गोल न
बनाना, और न तू अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। ‡
28 तुम मुर्दों की वजह से अपने जिस्म को ज़ख़्मी न करना, और
न अपने ऊपर कुछ गुदवाना। मैं ख़ुदावन्द हूँ।
29 तू अपनी बेटी को §कस्बी बना कर नापाक न होने देना,
कहीं ऐसा न हो कि मुल्क में रण्डी बाज़ी फैल जाए और सारा
मुल्क बदकारी से भर जाए।
30 तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे हैकल की ता'ज़ीम
करना; मैं ख़ुदावन्द हूँ।
31 जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास न
जाना और न उनके तालिब होना कि वह तुम को नजिस बना दें।
मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
32 "जिनके सिर के बाल सफ़ेद हैं, तुम उनके सामने उठ खड़े
होना और बड़े — बूढ़े का अदब करना, और अपने ख़ुदा से डरना।
मैं ख़ुदावन्द हूँ।
33 'और अगर कोई परदेसी तेरे साथ तुम्हारे मुल्क में क़याम
करता हो तो तुम उसे आज़ार न पहुँचाना;
34 बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसे देसी की तरह

‡ **19:27** 1: ग़ैर कौम के लोग जो बनी इस्राईल के आसपास रहते थे गालिबन उन की तहजीब के मुताबिक़ ढालना पड़ रहा था — इन में से एक मुर्दों के लिए मातम कर्नाकारना भी जुड़ा हुआ था जिसतरह कि 28 आयत में वाज़ेह किया गया है § **19:29** अपनी बेटी को कस्बियों में शामिल करने के ज़रिये

समझना, बल्कि तू उससे अपनी तरह मुहब्बत करना; इसलिए
कि तुम मुल्क — ए — मिस्र में परदेसी थे। मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा
ख़ुदा हूँ।
35 “तुम इन्साफ़, और पैमाइश, और वज़न, और पैमाने में
नारास्ती न करना।
36 ठीक तराज़ू, ठीक तौल बाट पूरा ऐफ़ा और पूरा हीन रखना।
जो तुम को मुल्क — ए — मिस्र से निकाल कर लाया मैं ही हूँ,
ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा।
37 इसलिए तुम मेरे सब आईन और सब अहकाम मानना और
उन पर 'अमल करना; मैं ख़ुदावन्द हूँ।”

20

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 “तू बनी — इस्राईल से यह भी कह दे कि बनी — इस्राईल
में से या उन परदेसियों में से जो इस्राईलियों के बीच क़याम करते
हैं, जो कोई शख़्स अपनी औलाद में से किसी की *मोलक की
नज़्र करे वह ज़रूर जान से मारा जाए; अहल — ए — मुल्क उसे
संगसार करें।
3 और मैं भी उस शख़्स का मुख़ालिफ़ हूँगा और उसे उसके लोगों
में से काट डालेंगा, इसलिए कि उस ने अपनी औलाद को मोलक
की नज़्र कर के मेरे हैकल और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया।
4 और अगर उस वक़्त जब वह अपनी औलाद में से किसी की
मोलक की नज़्र करे, अहल — ए — मुल्क उस शख़्स की तरफ़ से
चश्मपोशी कर के उसे जान से न मारें
5 तो मैं ख़ुद उस शख़्स का और उसके घराने का मुख़ालिफ़ हो
कर उसको और उन सभों को जो उसकी पैरवी में ज़िनाकार बनें
और मोलक के साथ ज़िना करें, उनकी क़ौम में से काट डालूँगा।

* **20:2** मोलिक के साथमाबूद (देवता) जोड़ें

6 'और जो शख़्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए
कि उनकी पैरवी में ज़िना करे, मैं उसका मुख़ालिफ़ हूँगा और उसे
उस की क़ौम में से काट डालूँगा।
7 इसलिए तुम अपने आप को पाक करो और पाक रहो, मैं
ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़दा हूँ।
8 और तुम मेरे क़ानून को मानना और उस पर 'अमल करना।
मैं ख़ुदावन्द हूँ जो तुम को पाक करता हूँ।
9 और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर ला'नत करे वह
ज़रूर जान से मारा जाए, उसने अपने बाप या माँ पर ला'नत की
है, इसलिए उस का ख़ून उसी की गर्दन पर होगा।
10 'और जो शख़्स दूसरे की बीवी से या'नी अपने पड़ोसी की
बीवी से ज़िना करे, वह ज़ानी और ज़ानिया दोनों ज़रूर जान से
मार दिए जाएँ।
11 और जो शख़्स अपनी सौतेली माँ से सुहबत करे उसने अपने
बाप के बदन को बे — पर्दा किया, वह दोनों ज़रूर जान से मारे
जाएँ, उन का ख़ून उन ही की गर्दन पर होगा।
12 और अगर कोई शख़्स अपनी बहू से सुहबत करे तो वह दोनों
ज़रूर जान से मारे जायें उन्होंने औंधी बात की है उनका ख़ून उन
ही की गर्दन पर होगा।
13 और अगर कोई मर्द से सुहबत करे जैसे 'औरत से करते हैं
तो उन दोनों ने बहुत मकरूह काम किया है, इसलिए वह दोनों
ज़रूर जान से मारे जाएँ, उनका ख़ून उनही की गर्दन पर होगा।
14 और अगर कोई शख़्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों
को रख्खे तो यह बड़ी ख़बासत है, इसलिए वह आदमी और वह
'औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएँ ताकि तुम्हारे बीच ख़बासत
न रहे;
15 और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जिमा'अ करे तो
वह ज़रूर जान से मारा जाए और तुम उस जानवर को भी मार

डालना।

16 और अगर कोई 'औरत किसी जानवर के पास जाए और
उससे हम सुहबत हो तो उस 'औरत और जानवर दोनों को मार
डालना, वह ज़रूर जान से मारे जाएँ; उनका ख़ून उन ही की गर्दन
पर होगा।

17 'और अगर कोई मर्द अपनी बहन को जो उसके बाप की या
उसकी माँ की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन
उसका बदन देखे, तो यह शर्म की बात है; वह दोनों अपनी क़ौम
के लोगों की आँखों के सामने क़त्ल किए जाएँ, उसने अपनी बहन
के बदन को बे — पर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा।

18 और अगर मर्द उस 'औरत से जो कपड़ों से हो सुहबत कर
के उसके बदन को बे — पर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला
और उस 'औरत ने अपने ख़ून का चश्मा खुलवाया। इसलिए वह
दोनों अपनी क़ौम में से काट डाले जाएँ।

19 और तू अपनी ख़ाला या फूफी के बदन को बे — पर्दा न
करना, क्यूँकि जो ऐसा करे उसने अपनी क़रीबी रिश्तेदार को बे —
पर्दा किया; इसलिए उन दोनों का गुनाह उन ही के सिर लगेगा।

20 और अगर कोई अपनी चची या ताई से सुहबत करे तो उसने
अपने चचा या ताऊ के बदन को बे — पर्दा किया; इसलिए उनका
गुनाह उनके सिर लगेगा, वह बे — औलाद मरेंगे।

21 अगर कोई शख़्स अपने भाई की बीवी को रख्खें तो यह
नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बे — पर्दा किया है;
वह बे — औलाद रहेंगे।

22 इसलिए तुम मेरे सब आईन और अहकाम मानना और उन
पर 'अमल करना, ताकि वह मुल्क जिसमें मैं तुम को बसाने को
लिए जाता हूँ तुम को उगल न दे।

23 तुम उन क़ौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से
निकालता हूँ मत चलना, क्यूँकि उन्होंने यह सब काम किए

इसीलिए मुझे उन से नफ़रत हो गई।
24 लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस
होगे, और मैं तुम को वह मुल्क जिस में †दूध और शहद बहता है
तुम्हारी मिल्कियत होने के लिए दूँगा। मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा
हूँ, जिसने तुम को और क़ौमों से अलग किया है।
25 इसलिए तुम पाक और नापाक चौपायों में, और पाक और
नापाक परिन्दों में फ़र्क़ करना, और तुम किसी जानवर या परिन्दे
या ज़मीन पर के रेंगनेवाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए
नापाक ठहराकर अलग किया है अपने आप को मकरूह न बना
लेना।
26 और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्यूँकि मैं जो ख़ुदावन्द
हूँ पाक हूँ; और मैंने तुम को और क़ौमों से अलग किया है ताकि
तुम मेरे ही रहो।
27 और वह मर्द या 'औरत जिसमें जिन्न हो या वह जादूगर हो
तो वह ज़रूर जान से मारा जाए, ऐसों को लोग संगसार करें;
उनका ख़ून उन ही की गर्दन पर होगा।"

21

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि 'हारून के बेटों से जो
काहिन हैं कह कि अपने क़बीले के मुर्दे की वजह से कोई अपने
आप को नजिस न कर ले।
2 अपने क़रीबी रिश्तेदारों की वजह से जैसे अपनी माँ की वजह
से, और अपने बाप की वजह से, और अपने बेटे — बेटी की वजह
से, और अपने भाई की वजह से,
3 और अपनी सगी कुँवारी बहन की वजह से जिसने शौहर न
किया हो, इन की ख़ातिर वह अपने को नजिस कर सकता है।

† **20:24** अजहद ज़रखेज़ मुल्क

4 चूँकि वह अपने लोगों में सरदार है, इसलिए *वह अपने आप
को ऐसा आलूदा न करे कि नापाक हो जाए।
5 वह न अपने सिर उनकी ख़ातिर बीच से घुटवाएँ और न अपनी
दाढ़ी के कोने मुण्डवाएँ, और न अपने को ज़ख़्मी करें। †
6 वह अपने ख़ुदा के लिए पाक बने रहें और अपने ख़ुदा के नाम
को बेहुरमत न करें, क्यूँकि वह ख़ुदावन्द की आतिशीन क़ुर्बानियाँ
जो उनके ख़ुदा की गिज़ा है पेश करते हैं; इसलिए वह पाक रहें।
7 वह किसी फ़ाहिशा या नापाक 'औरत से ब्याह न करें, और न
उस 'औरत से ब्याह करें जिसे उसके शौहर ने तलाक़ दी हो; क्यूँकि
काहिन अपने ख़ुदा के लिए पाक है।
8 तब तू काहिन को पाक जानना क्यूँकि वह तेरे ख़ुदा की गिज़ा
पेश करता है; इसलिए वह तेरी नज़र में पाक ठहरे, क्यूँकि मैं
ख़ुदावन्द जो तुम को पाक करता हूँ क़ुद्दूस हूँ।
9 और अगर काहिन की बेटी फ़ाहिशा बनकर अपने आप को
नापाक करे तो वह अपने बाप को नापाक ठहराती है, वह 'औरत
आग में जलाई जाए।
10 और वह जो अपने भाइयों के बीच सरदार काहिन हो, जिसके
सिर पर मसह करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास
पहनने के लिए मख़्सूस किया गया, वह अपने सिर के बाल बिखरने
न दे और अपने कपड़े न फाड़े।
11 वह किसी मुर्दे के पास न जाए, और न अपने बाप या माँ की
ख़ातिर अपने आप को नजिस करे।
12 और वह हैकल के बाहर भी न निकले और न अपने ख़ुदा के
हैकल को बेहुरमत करे, क्यूँकि उसके ख़ुदा के मसह करने के तेल
का ताज उस पर है; मैं ख़ुदावन्द हूँ।
13 और वह कुँवारी 'औरत से ब्याह करे;

---

* **21:4** दीगर रिश्तेदारों के लिए जोड़ें, शादी के ज़रिये उस के दीगर रिश्तेदार
† **21:5** 19:27 — 28 पढ़ें

14 जो बेवा या मुतल्लक़ा या नापाक 'औरत या फ़ाहिशा हो,
उनसे वह ब्याह न करे बल्कि वह अपनी ही क़ौम की कुँवारी को
ब्याह ले।
15 और वह अपने तुख़्म को अपनी क़ौम में नापाक न ठहराए,
क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द हूँ जो उसे पाक करता हूँ।
16 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि,
17 "हारून से कह दे कि तेरी नसल में नसल — दर — नसल
अगर कोई किसी तरह का 'ऐब रखता हो, तो वह अपने ख़ुदा की
गिज़ा पेश करने को नज़दीक न आए;
18 चाहे कोई हो जिसमें 'ऐब हो वह नज़दीक न आए चाहे वह
अन्धा हो या लंगड़ा, या नकचपटा हो, या ज़ाइद — उल —
'आज़ा,
19 या उसका पाँव टूटा हो, या हाथ टूटा हो
20 या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आँख में कुछ नुक्स
हो, या खुजली भरा हो, या उसके पपड़ियाँ हों, या उसके खुसिए
पिचके हों।
21 हारून काहिन की नसल में से कोई जो 'ऐबदार हो ख़ुदावन्द
की आतिशी क़ुर्बानियाँ पेश करने को नज़दीक न आए, वह 'ऐबदार
है; वह हरगिज़ अपने ख़ुदा की ग़िज़ा पेश करने को पास न आए।
22 वह अपने ख़ुदा की बहुत ही मुक़द्दस और पाक दोनों तरह
की रोटी खाए,
23 लेकिन पर्दे के अन्दर दाख़िल न हो, न मज़बह के पास आए
इसलिए कि वह 'ऐबदार है; कहीं ऐसा न हो कि वह मेरे पाक
मक़ामों को बे — हुरमत करे, क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द उनका पाक करने
वाला हूँ।"
24 तब मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी — इस्राईल
से यह बातें कहीं।

22

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
2 "हारून और उसके बेटों से कह कि वह बनी — इस्राईल की
पाक चीज़ों से जिनको वह मेरे लिए पाक करते हैं अपने आप
को बचाए रख्खें, और मेरे पाक नाम को बे — हुरमत न करें; मैं
ख़ुदावन्द हूँ।
3 उनको कह दे कि तुम्हारी नसल — दर — नसल जो कोई
तुम्हारी नसल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों
के पास जाए, जिनको बनी — इस्राईल ख़ुदावन्द के लिए पाक
करते हैं, वह शख़्स मेरे सामने से काट डाला जाएगा; मैं ख़ुदावन्द
हूँ।
4 हारून की नसल में जो कोढ़ी, या ज़िरयान का मरीज़ हो वह
जब तक पाक न हो जाए, पाक चीज़ों में से कुछ न खाए; और जो
कोई ऐसी चीज़ को जो मुर्दे की वजह से नापाक हो गई है, या उस
शख़्स की जिस की धात बहती हो छुए
5 या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वह
नापाक हो सकता है, छुए या किसी ऐसे शख़्स को छुए जिससे
उसकी नापाकी चाहे वह किसी क़िस्म की हो उसको भी लग
सकती हो;
6 तो वह आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक
रहेगा, और जब तक पानी से ग़ुस्ल न कर ले पाक चीज़ों में से
कुछ न खाए;
7 और वह उस वक़्त पाक ठहरेगा जब आफ़ताब गुरूब हो जाए,
इसके बाद वह पाक चीज़ों में से खाए, क्यूँकि यह उसकी ख़ुराक
है।
8 और मुरदार या दरिन्दों के फाड़े हुए जानवर को खाने से वह
अपने आप को नजिस न कर ले; मैं ख़ुदावन्द हूँ
9 इसलिए वह मेरी शरा' को माने, ऐसा न हो कि उस की वजह

से उनके सिर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से
वह मर भी जाएँ, मैं ख़ुदावन्द उनका पाक करने वाला हूँ।
10 'कोई अजनबी पाक चीज़ को न खाने पाए चाहे वह काहिन
ही के यहाँ ठहरा हो, या उसका नौकर हो तो भी वह कोई पाक
चीज़ न खाए;
11 लेकिन वह जिसे काहिन ने अपने ज़र से ख़रीदा हो उसे खा
सकता है, और वह जो उसके घर में पैदा हुए हों वह भी उसके खाने
में से खाएँ।
12 अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो, तो
वह पाक चीज़ों की क़ुर्बानी में से कुछ न खाए।
13 लेकिन अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए, या मुतल्लक़ा
हो और बे — औलाद हो, और लड़कपन के दिनों की तरह अपने
बाप के घर में फिर आ कर रहे तो वह अपने बाप के खाने में से
खाए; लेकिन कोई अजनबी उसे न खाए।
14 और अगर कोई अनजाने में पाक चीज़ को खा जाए तो वह
उसके पाँचवें हिस्से के बराबर अपने पास से उस में मिला कर वह
पाक चीज़ काहिन को दे
15 और वह बनी — इस्राईल की पाक चीज़ों को जिनको वह
ख़ुदावन्द की नज़्र करते हों बेहुरमत करके,
16 *उनके सिर उस गुनाह का जुर्म न लादें जो उनकी पाक चीज़ों
को खाने से होगा; क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द उनका पाक करने वाला हूँ।"

[illegible]

17 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
18 "हारून और उसके बेटों और सब बनी — इस्राईल से कह कि
इस्राईल के घराने का या उन परदेसियों में से जो इस्राईलियों के

* **22:16** मुक़द्दस क़ुरबानी को खाने देने के ज़रिये ताकि उन पर जुर्म साबित कर सके जिस के लिए खम्याज़ा की ज़रूरत है — मैं खुदावंद हूँ जो लोगों को पाक करता हूँ — मैंखुदावंद हूँ जो उन क़ुर्बानियों को पाक करता हूँ

बीच रहते हैं, जो कोई शख़्स अपनी क़ुर्बानी लाए, चाहे वह कोई
मिन्नत की क़ुर्बानी हो या रज़ा की क़ुर्बानी, जिसे वह सोख़्तनी
क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने पेश करते हैं;

19 तो अपने मक़बूल होने के लिए तुम बैलों या बर्रों या बकरों
में से बे — 'ऐब नर चढ़ाना।

20 और जिसमें 'ऐब हो उसे न अदा करना क्यूँकि वह तुम्हारी
तरफ़ से मक़बूल न होगा।

21 और जो कोई अपनी मिन्नत पूरी करने के लिए या रज़ा
की क़ुर्बानी के तौर पर गाय, बैल या भेड़ बकरी में से सलामती
का ज़बीहा ख़ुदावन्द के सामने पेश करे, तो वह जानवर मक़बूल
ठहरने के लिए बे — 'ऐब हो; उसमें कोई नुक़्स न हो।

22 जो अन्धा या शिकस्ता — ए — 'उज़्व या लूला हो, जिसके
रसौली या खुजली या पपड़ियाँ हों, ऐसों को ख़ुदावन्द के सामने
न चढ़ाना और न मज़बह पर उनकी आतिशी क़ुर्बानी ख़ुदावन्द के
सामने पेश करना।

23 जिस बछड़े या बर्रे का कोई 'उज़्व ज़्यादा या कम हो उसे तो
रज़ा की क़ुर्बानी के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन मिन्नत पूरी
करने के लिए वह मक़बूल न होगा।

24 जिस जानवर के ख़ुसिए कुचले हुए या चूर किए हुए या टूटे
या कटे हुए हों, उसे तुम ख़ुदावन्द के सामने न चढ़ाना और न
अपने मुल्क में ऐसा काम करना;

25 और न इनमें से किसी को लेकर तुम अपने ख़ुदा की ग़िज़ा
परदेसी या अजनबी के हाथ से अदा करवाना, क्यूँकि उनका
बिगाड़ उनमें मौजूद होता है, उनमें 'ऐब है इसलिए वह तुम्हारी

तरफ़ से मक़बूल न होंगे।" †

26 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,

27 "जिस वक़्त बछ्ड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हो, तो
सात दिन तक वह अपनी माँ के साथ रहे और आठवें दिन से और
उसके बाद से वह ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानी के लिए मक़बूल
होगा।

28 और चाहे गाय हो या भेड़, बकरी, तुम उसे और उसके बच्चे
दोनों को एक ही दिन ज़बह न करना।

29 और जब तुम ख़ुदावन्द के शुक्राने का ज़बीहा क़ुर्बानी करो,
तो उसे इस तरह क़ुर्बानी करना कि तुम मक़बूल ठहरो;

30 और वह उसी दिन खा भी लिया जाए, तुम उसमें से कुछ भी
दूसरे दिन की सुबह तक बाक़ी न छोड़ना; मैं ख़ुदावन्द हूँ।

31 "इसलिए तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर 'अमल
करना; मैं ख़ुदावन्द हूँ।

32 तुम मेरे पाक नाम को नापाक न ठहराना, क्यूँकि मैं बनी
— इस्राईल के बीच ज़रूर ही पाक माना जाऊँगा; मैं ख़ुदावन्द
तुम्हारा पाक करने वाला हूँ,

33 जो तुम को मुल्क — ए — मिस्र से निकाल लाया हूँ ताकि
तुम्हारा ख़ुदा बना रहूँ, मैं ख़ुदावन्द हूँ।"

23

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा, कि

† **22:25** पहले से जो लोग मुल्क — ए — कनान में रहते थे उनकी ख़ुदा के लोगों को नक़ल करने सेबाज़ रहनाऔरउनसे मुता'सिर होने से परहेज़ करना था उन में एक ख़ास ऐब यह था किवोह काट छांट करने वाले थे — उनकी इस काट छांट सबब से कनानियों कोजानवरों की क़ससी करने वाले बतोरहवाला दिया जाता था — इसलिए यह तर्जुमा करना ज़रूरी है की यह लोग जानवरों की क़ुरबानी के लिए ना क़ाबिल थे — उन्हें क़ुरबानी के लिए कबूल नहीं किया जायेगा

2 "बनी — इस्राईल से कह कि ख़ुदावन्द की 'ईदें जिनका तुम को पाक मजम'ओं के लिए 'ऐलान देना होगा, मेरी वह 'ईदें यह हैं।
3 छ: दिन काम — काज किया जाए लेकिन सातवाँ दिन ख़ास आराम का और पाक मजमे' का सबत है, उस रोज़ किसी तरह का काम न करना; वह तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में ख़ुदावन्द का सबत है।
4 "ख़ुदावन्द की 'ईदें जिनका 'ऐलान तुम को पाक मजम'ओं के लिए वक़्त — ए — मु'अय्यन पर करना होगा इसलिए यह हैं।

[illegible]

5 *पहले महीने की चौदहवीं तारीख़ की शाम के वक़्त ख़ुदावन्द की फ़सह हुआ करे।
6 और उसी महीने की पंद्रहवीं तारीख़ को ख़ुदावन्द के लिए 'ईद — ए — फ़तीर हो, उसमें तुम सात दिन तक बे — ख़मीरी रोटी खाना।
7 पहले दिन तुम्हारा पाक मजमा' हो उसमें तुम कोई ख़ादिमाना काम न करना।
8 और सातों दिन तुम ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी पेश करना और और सातवें दिन फिर पाक मजमा' हो उस रोज़ तुम कोई ख़ादिमाना काम न करना।"

[illegible]

9 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
10 "बनी — इस्राईल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुम को देता हूँ दाख़िल हो जाओ और उसकी फ़स्ल काटो, तो तुम अपनी फ़स्ल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना;

* **23:5** इब्रियों का पहला महिना मोसम — ए — बहार की शुरुआत है, यह मार्च के आधे महीने से शुरू होकर एप्रेल के आधे महीने तक रहता है — इब्रानीमहीनेचाँदसेअखज़किएजातेहैं — इसलिए उनके कैलंडर के महीने हमारी मौजूदा कैलंडर से बदलते रहते हैं —

11 और वह उसे ख़ुदावन्द के सामने हिलाए, ताकि वह तुम्हारी
तरफ़ से क़ुबूल हो और काहिन उसे सबत के दूसरे दिन सुबह को
हिलाए।
12 और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ उसी दिन एक नर बे —
'ऐब यक — साला बर्रा सोख़्तनी क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के
सामने पेश करना।
13 और उसके साथ नज़्र की क़ुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ
मैदा ऐफ़ा के दो दहाई हिस्से के बराबर हो, ताकि वह आतिशी
क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द के सामने राहतअंगेज़ ख़ुशबू के
लिए जलाई जाए; और उसके साथ मय का तपावन [†]हीन के चौथे
हिस्से के बराबर मय लेकर करना।
14 और जब तक तुम अपने ख़ुदा के लिए यह हदिया न ले
आओ, उस दिन तक नई फ़स्ल की रोटी या भुना हुआ अनाज, या
हरी बालें हरगिज़ न खाना। तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में नसल
— दर — नसल हमेशा यही क़ानून रहेगा।

[illegible]

15 "और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की
क़ुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू' करना, जब तक सात
सबत पूरे न हो जाएँ।
16 और सातवें सबत के दूसरे दिन तक पचास दिन गिन लेना,
तब तुम ख़ुदावन्द के लिए नज़्र की नई क़ुर्बानी पेश करना।
17 तुम अपने घरों में से ऐफ़ा के दो दहाई हिस्से के वज़न के
मैदे के दो गिर्दे हिलाने की क़ुर्बानी के लिए ले आना; वह ख़मीर
के साथ पकाए जाएँ ताकि ख़ुदावन्द के लिए पहले फल ठहरें।
18 और उन गिर्दों के साथ ही तुम सात यक — साला बे —
'ऐब बर्रे और एक बछड़ा और दो मेंढे लाना, ताकि वह अपनी
अपनी नज़्र की क़ुर्बानी और तपावन के साथ ख़ुदावन्द के सामने

[†] **23:13** एक लीटर के लगभग, देखें ख़ुरूज 29:40

सोख़्तनी क़ुर्बानी के तौर पर पेश करे जाएँ, और ख़ुदावन्द के
सामने राहतअंगेज़ ख़ुशबू की आतिशी क़ुर्बानी ठहरें।
19 और तुम ख़ता की क़ुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती
के ज़बीहे के लिए दो यकसाला नर बर्रे चढ़ाना।
20 और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिर्दों के साथ लेकर
उन दोनों बर्रों के साथ हिलाने की क़ुर्बानी के तौर पर ख़ुदावन्द
के सामने हिलाए, वह ख़ुदावन्द के लिए पाक और काहिन का
हिस्सा ठहरें।
21 और तुम ऐन उसी दिन 'ऐलान कर देना, उस रोज़ तुम्हारा
पाक मजमा' हो, तुम उस दिन कोई ख़ादिमाना काम न करना;
तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में नसल — दर — नसल सदा यही
तौर तरीक़ा रहेगा।
22 "और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फ़सल काटो,
तो तू अपने खेत को कोने — कोने तक पूरा न काटना और न
अपनी फ़सल की गिरी — पड़ी बालों को जमा' करना, बल्कि
उनको ग़रीबों और मुसाफ़िरों के लिए छोड़ देना; मैं ख़ुदावन्द
तुम्हारा ख़ुदा हूँ।"

[illegible]

23 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
24 "बनी — इस्राईल से कह कि सातवें महीने की पहली तारीख़
तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए
नरसिंगे फूंके जाएँ और पाक मजमा' हो।
25 तुम उस रोज़ कोई ख़ादिमाना काम न करना और ख़ुदावन्द
के सामने आतिशी क़ुर्बानी पेश करना।"

[illegible]

26 ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा

27 ‡"उसी सातवें महीने की दसवीं तारीख़ की कफ़्फ़ारे का दिन
है; उस रोज़ तुम्हारा पाक मजमा' हो, और तुम अपनी जानों को
दुख देना और ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी पेश करना।
28 तुम उस दिन किसी तरह का काम न करना, क्यूँकि वह
कफ़्फ़ारे का दिन है जिसमें ख़ुदावन्द तुम्हारे ख़ुदा के सामने तुम्हारे
लिए क़फ्फारा दिया जाएगा।
29 जो शख़्स उस दिन अपनी जान को दुख ने दे वह अपने लोगों
में से काट डाला जाएगा।
30 और जो शख़्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं
उसके लोगों में से फ़ना कर दूँगा।
31 तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकुनत
गाहों में नसल — दर — नसल हमेशा यही तौर तरीक़े रहेंगे।
32 यह तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी
जानों को दुख देना; तुम उस महीने की नौवीं तारीख़ की शाम से
दूसरी शाम तक अपना सबत मानना।"

'?? — ? — ??????

33 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,
34 'बनी — इस्राईल से कह कि उसी सातवें महीने की पंद्रहवीं
तारीख़ से लेकर सात दिन तक ख़ुदावन्द के लिए 'ईद — ए —
ख़ियाम होगी।
35 पहले दिन पाक मजमा हो; तुम उस दिन कोई ख़ादिमाना
काम न करना।
36 तुम सातों दिन बराबर ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी
पेश करना। आठवें दिन तुम्हारा पाक मजमा' हो और फिर
ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी पेश करना; वह ख़ास मजमा'
है, उसमें कोई ख़ादिमाना काम न करना।

‡ **23:27** सातवें महीने का दसवां दिन कफ़्फ़ारे का दिन है, उस दिन मजमा' बुलाना,
अपने आप का इनकार करना और ख़ुदावंद के लिए खाने की क़ुरबानी पेश करना

37 “यह ख़ुदावन्द की मुक़र्ररा 'ईदें हैं जिनमें तुम पाक मजम'ओं
का 'ऐलान करना; ताकि ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी,
और सोख़्तनी क़ुर्बानी, और नज़्र की क़ुर्बानी और जबीहा और
तपावन हर एक अपने अपने मुअ'य्यन दिन में पेश किया जाए।
38 इनके अलावा ख़ुदावन्द के सबतों को मानना, और अपने
हदियों और मिन्नतों और रज़ा की क़ुर्बानियों को जो तुम ख़ुदावन्द
के सामने लाते हो पेश करना।
39 “और सातवें महीने की पंद्रहवीं तारीख़ से, जब तुम ज़मीन
की पैदावार जमा' कर चुको तो सात दिन तक ख़ुदावन्द की 'ईद
मानना। पहला दिन खास आराम का हो, और अट्ठारहवें दिन भी
ख़ास आराम ही का हो।
40 इसलिए तुम पहले दिन ख़ुशनुमा दरख़्तों के फल और खजूर
की डालियाँ, और घने दरख़्तों की शाख़े और नदियों की बेद — ए
— मजनूँ लेना; और तुम ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा के आगे सात दिन
तक ख़ुशी मनाना।
41 और तुम हर साल ख़ुदावन्द के लिए सात रोज़ तक यह 'ईद
माना करना। तुम्हारी नसल दर नसल हमेशा यही क़ानून रहेगा
कि तुम सातवें महीने इस 'ईद को मानो।
42 सात रोज़ तक बराबर तुम सायबानों में रहना, जितने
इस्राईल की नसल के हैं सब के सब सायबानों में रहें;
43 ताकि तुम्हारी नसल को मा'लूम हो कि जब मैं बनी —
इस्राईल को मुल्क — ए — मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो
मैंने उनको सायबानों में टिकाया था; मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा
हूँ।”
44 इसलिए मूसा ने बनी — इस्राईल को ख़ुदावन्द की मुक़र्ररा
'ईदें बता दीं।

24

[illegible]

1 और ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा,

2 "बनी — इस्राईल को हुक्म कर कि वह तेरे पास ज़ैतून का कूट कर निकाला हुआ ख़ालिस तेल रोशनी के लिए लाएँ, ताकि चराग़ा हमेशा जलता रहे।

3 *हारून उसे शहादत के पर्दे के बाहर ख़ेमा — ए — इजितमा'अ में शाम से सुबह तक ख़ुदावन्द के सामने क़रीने से रख्खा करे; तुम्हारी नसल — दर — नसल सदा यही क़ानून रहेगा।

4 वह हमेशा उन चराग़ो की तरतीब से पाक शमा'दान पर ख़ुदावन्द के सामने रख्खा करे।

5 "और तू मैदा लेकर बारह गिर्दे पकाना, हर एक गिर्दे में ऐफ़ा के दो दहाई हिस्से के बराबर मैदा हो;

6 और तू उनको दो क़तारें कर कि हर क़तार में छ: छ: रोटियाँ, पाक मेज़ पर ख़ुदावन्द के सामने रखना।

7 और तू हर एक क़तार पर ख़ालिस लुबान रखना, ताकि वह रोटी पर यादगारी या'नी ख़ुदावन्द के सामने आतिशी क़ुर्बानी के तौर पर हो।

8 वह हमेशा हर सबत के रोज़ उनको ख़ुदावन्द के सामने तरतीब दिया करे, क्यूँकि यह बनी — इस्राईल की जानिब से एक हमेशा 'अहद है।

9 और यह रोटियाँ हारून और उसके बेटों की होंगी वह इन को किसी पाक जगह में खाएँ, क्यूँकि वह एक जाविदानी क़ानून के मुताबिक़ ख़ुदावन्द की आतिशी क़ुर्बानियों में से हारून के लिए बहुत पाक हैं।"

---

* **24:3** शहादत के परदे के बाहर खेमा — ए — इज्तिमा'में जो अहद के सदूक़ को ढाल बनाए हुए है वहां पर हारुन को शाम से लेकर सुबह तक लगातार शमादानों को करीने से रखना होगा — तुम्हारी नसल दर नसल सदा यही आईन रहेगा —

[illegible]

10 और एक इस्राईली 'औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था,
इस्राईलियों के बीच चला गया और वह इस्राईली 'औरत का बेटा
और एक इस्राईली लश्करगाह में आपस में मार पीट करने लगे;
11 और इस्राईली 'औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफ़्र बका और
ला'नत की। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी माँ का
नाम सलोमीत था, जो दिब्री की बेटी थी जो दान के क़बीले का
था।
12 और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि ख़ुदावन्द की
जानिब से इस बात का फ़ैसला उन पर ज़ाहिर किया जाए।
13 तब ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि;
14 'उस ला'नत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर
ले जा: और जितनों ने उसे ला'नत करते सुना, वह सब अपने —
अपने हाथ उसके सिर पर रक्खें और सारी जमा'अत उसे संगसार
करे।
15 और तू बनी — इस्राईल से कह दे कि जो कोई अपने ख़ुदा
पर ला'नत करे उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा।
16 और वह जो ख़ुदावन्द के नाम पर कुफ़्र बके, ज़रूर जान से
मारा जाए; सारी जमा'अत उसे कत'ई संगसार करे, चाहे वह देसी
हो या परदेसी; जब वह पाक नाम पर कुफ़्र बके तो वह ज़रूर जान
से मारा जाए।
17 'और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वह ज़रूर जान
से मारा जाए।
18 और जो कोई किसी चौपाए को मार डाले, वह उसका
मु'आवज़ा जान के बदले जान दे।
19 "और अगर कोई शख़्स अपने पड़ोसी को 'ऐबदार बना दे,
तो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए;
20 या'नी 'उज़्व तोड़ने के बदले 'उज़्व तोड़ना हो, और आँख के
बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी

में पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए
21 अलग़र्ज़, जो कोई किसी चौपाए को मार डाले वह उसका
मु'आवज़ा दे; लेकिन इंसान का क़ातिल जान से मारा जाए।
22 तुम एक ही तरह का क़ानून देसी और परदेसी दोनों के लिए
रखना, क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।"
23 और मूसा ने यह बनी — इस्राईल को बताया। तब वह उस
ला'नत करने वाले को निकाल कर लश्करगाह के बाहर ले गए
और उसे संगसार कर दिया। इसलिए बनी — इस्राईल ने जैसा
ख़ुदावन्द ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया।

25

???? ??? ????

1 और ख़ुदावन्द ने कोह-ए-सीना पर मूसा से कहा कि;
2 "बनी — इस्राईल से कहा कि, जब तुम उस मुल्क में जो मैं
तुम को देता हूँ दाख़िल हो जाओ, तो उसकी ज़मीन भी ख़ुदावन्द
के लिए सबत को माने।
3 तू अपने खेत को छः बरस बोना, और अपने अंगूरिस्तान को
छः बरस छाँटना और उसका फल जमा' करना।
4 लेकिन सातवें साल ज़मीन के लिए ख़ास आराम का सबत
हो। यह सबत ख़ुदावन्द के लिए हो। इसमें तू न अपने खेत को
बोना और न अपने अंगूरिस्तान को छाँटना।
5 और न अपनी ख़ुदरो फ़सल को काटना और न अपनी बे —
छटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना; यह ज़मीन के लिए ख़ास आराम
का साल हो।
6 और ज़मीन का यह सबत तेरे, और तेरे ग़ुलामों और तेरी
लौंडी और मज़दूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते
हैं, तुम्हारी ख़ुराक का ज़रिया' होगा;

7 और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और
जानवरों के लिए ख़ूराक़ ठहरेगी।

[illegible]

8 “और तू बरसों के सात सबतों को, या'नी सात गुना सात साल
गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के सात सबतों की मुद्दत कुल
उन्चास साल होंगे।
9 तब तू सातवें महीने की दसवीं तारीख़ को बड़ा नरसिंगा ज़ोर
से फुँकवाना, तुम कफ़्फ़ारे के रोज़ अपने सारे मुल्क में यह नरसिंगा
फुँकवाना।
10 और तुम *पचासवें बरस को पाक जानना और तमाम मुल्क
में सब बाशिन्दों के लिए आज़ादी का 'ऐलान कराना, यह तुम्हारे
लिए यूबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का
मालिक हो, और हर शख़्स अपने ख़ान्दान में फिर शामिल हो
जाए।
11 वह पचासवाँ बरस तुम्हारे लिए यूबली हो, तुम उसमें कुछ
न बोना और न उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और न
बे — छटी ताकों का अंगूर जमा' करना।
12 क्यूँकि वह साल — ए — यूबली होगा; इसलिए वह तुम्हारे
लिए पाक ठहरे, तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना।
13 “उस साल — ए — यूबली में तुम में से हर एक अपनी
मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए।
14 और अगर तू अपने पड़ोसी के हाथ कुछ बेचे या अपने
पड़ोसी से कुछ ख़रीदे, तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना।

* **25:10** पचासवां बरस: इब्रानी ज़बान में असली मायने “मेंढे के सींग से है, देखें यशौ 6:5 जिस में मेंढे के सींग का इस्तेमाल बजानेका औज़ार बतोर किया गया है, ख़ुरुज 19:13 में जहाँ नरसिंगा फूंकनेका ज़िक्र है वह इसी से फूँका जाता था — इस को बहाली के साल के जशन में भी इस्तेमाल किया जाता था —

15 यूबली के बाद जितने बरस गुज़रें हो उनके शुमार के
मुताबिक़ तू अपने पड़ोसी से उसे ख़रीदना, और वह उसे फ़सल के
बरसों के शुमार के मुताबिक़ तेरे हाथ बेचे।
16 जितने ज़्यादा बरस हों उतना ही दाम ज़्यादा करना और
जितने कम बरस हों उतनी ही उस की क़ीमत घटाना; क्यूँकि बरसों
के शुमार के मुताबिक़ वह उनकी फ़स्ल तेरे हाथ बेचता है।
17 और तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना, बल्कि अपने ख़ुदा
से डरते रहना; क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
18 इसलिए तुम मेरी शरी'अत पर 'अमल करना और मेरे हुक्मों
को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अम्न के साथ
बसे रहोगे।
19 और ज़मीन फलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे, और वहाँ
अम्न के साथ रहा करोगे।
20 और अगर तुम को ख़याल हो कि हम सातवें बरस क्या
खाएँगे? क्यूँकि देखो, हम को न तो बोना है और न अपनी पैदावार
की जमा' करना है।
21 तो मैं छटे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाज़िल करूँगा कि
तीनों साल के लिए काफ़ी ग़ल्ला पैदा हो जाएगा।
22 और आठवें बरस फिर जीतना बोना और पिछला ग़ल्ला
खाते रहना, बल्कि जब तक नौवें साल के बोए हुए की फ़सल न
काट लो उस वक़्त तक वही पिछला ग़ल्ला खाते रहोगे।

????? ?? ???????

23 "और ज़मीन हमेशा के लिए बेची न जाए क्यूँकि ज़मीन मेरी
है, और तुम मेरे मुसाफ़िर और मेहमान हो।
24 बल्कि तुम अपनी मिल्कियत के मुल्क में हर जगह ज़मीन
को छुड़ा लेने देना।
25 "और अगर तुम्हारा भाई ग़रीब हो जाए और अपनी
मिल्कियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उस का सबसे क़रीबी

रिश्तेदार है वह आकर उस को जिसे उसके भाई ने बेच डाला है
छुड़ा ले।
26 और अगर उस आदमी का कोई न हो जो उसे छुड़ाए, और
वह ख़ुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास
काफ़ी हो।
27 तो वह फ़रोख़्त के बाद के बरसों को गिन कर बाक़ी दाम
उसकी जिसके हाथ ज़मीन बेची है फेर दे; तब वह फिर अपनी
मिल्कियत का मालिक हो जाए।
28 लेकिन अगर उसमें इतना मक़दूर न हो कि अपनी ज़मीन
वापस करा ले, तो जो कुछ सन बेच डाला है वह साल — ए —
यूबली तक ख़रीदार के हाथ में रहे; और साल — ए — यूबली
में छुट जाए, तब यह आदमी अपनी मिल्कियत का फिर मालिक
हो जाए।
29 और अगर कोई शख़्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी
फ़सीलदार शहर में हो, तो वह उसके बिक जाने के बाद साल भर
के अन्दर — अन्दर उसे छुड़ा सकेगा; या'नी पूरे एक साल तक
वह उसे छुड़ाने का हक़दार रहेगा।
30 और अगर वह पूरे एक साल की मी'आद के अन्दर छुड़ाया
न जाए, तो उस फ़सीलदार शहर के मकान पर ख़रीदार का नसल
— दर — नसल हमेशा का क़ब्ज़ा हो जाए और वह साल — ए
— यूबली में भी न छूटे।
31 लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फ़सील नहीं उनके मकानों
का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा, वह छुड़ाए भी जा सकेंगे
और साल — ए — यूबली में वह छूट भी जाएँगे।
32 तो भी लावियों के जो शहर हैं, लावी अपनी मिल्कियत के
शहरों के मकानों को चाहे किसी वक़्त छुड़ा लें।
33 और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वह मकान
जो बेचा गया और उसकी मिल्कियत का शहर दोनों साल ए —

यूबली में छूट जाएँ; क्यूँकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं
वही बनी — इस्राईल के बीच लावियों की मिल्कियत हैं।
34 लेकिन उनके शहरों की 'इलाक़े के खेत नहीं बिक सकते,
क्यूँकि वह उनकी हमेशा की मिल्कियत हैं।

[illegible]

35 और अगर तेरा कोई भाई ग़रीब हो जाए और वह तेरे सामने
तंगदस्त हो, तो तू उसे संभालना। वह परदेसी और मुसाफ़िर की
तरह तेरे साथ रहे।
36 तू उससे सूद या नफ़ा' मत लेना बल्कि अपने ख़ुदा का ख़ौफ़
रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िन्दगी बसर कर सके।
37 तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी
उसे नफ़े' के ख़याल से न देना।
38 मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ, जो तुम को इसी लिए मुल्क
— ए — मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क — ए — कना'न
तुम को दूँ और तुम्हारा ख़ुदा ठहरूँ।
39 'और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा ग़रीब हो जाए
कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे ग़ुलाम की तरह
ख़िदमत न लेना।
40 बल्कि वह मज़दूर और मुसाफ़िर की तरह तेरे साथ रहे और
साल — ए — यूबली तक तेरी ख़िदमत करे।
41 उसके बाद वह बाल — बच्चों के साथ तेरे पास से चला
जाए, और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की
मिल्कियत की जगह को लौट जाए।
42 इसलिए कि वह मेरे ख़ादिम हैं जिनको मैं मुल्क — ए —
मिस्र से निकाल कर लाया हूँ, वह ग़ुलामों की तरह बेचे न जाएँ।
43 तू उन पर सख़्ती से हुक्मरानी न करना, बल्कि अपने ख़ुदा
से डरते रहना।

44 और तेरे जो ग़ुलाम और तेरी जो लौंडियाँ हों, वह उन क़ौमों
में से हों जो तुम्हारे चारों तरफ़ रहती हैं; उन ही में से तुम ग़ुलाम
और लौंडियाँ ख़रीदा करना।
45 इनके सिवा उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम
में क़याम करते हैं और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा
हुए और तुम्हारे साथ हैं तुम ख़रीदा करना और वह तुम्हारी ही
मिल्कियत होंगे।
46 और तुम उनको मीरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर
देना कि वह उनकी मौरूसी मिल्कियत हों। इनमें से तुम हमेशा
अपने लिए ग़ुलाम लिया करना; लेकिन बनी — इस्राईल जो
तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख़्ती से हुक्मरानी न
करना।
47 “और अगर कोई परदेसी या मुसाफ़िर जो तेरे साथ हो,
दौलतमन्द हो जाए और तेरा भाई उसके सामने ग़रीब हो कर
अपने आप को उस परदेसी या मुसाफ़िर या परदेसी के ख़ान्दान
के किसी आदमी के हाथ बेच डाले,
48 तो बिक जाने के बाद वह छुड़ाया जा सकता है, उसके
भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है,
49 या उसका चचा या ताऊ, या उसके चचा या ताऊ का
बेटा, या उसके ख़ान्दान का कोई और आदमी जो उसका क़रीबी
रिश्तेदार हो वह उस को छुड़ा सकता है; या अगर वह मालदार
हो जाए, तो वह अपना फ़िदिया दे कर छूट सकता है।
50 वह अपने ख़रीदार के साथ अपने को फ़रोख़्त कर देने के
साल से लेकर साल — ए — यूबली तक हिसाब करे और उसके
बिकने की क़ीमत बरसों की ता'दाद के मुताबिक़ हो; या'नी उसका
हिसाब मज़दूर के दिनों की तरह उसके साथ होगा।
51 अगर यूबली के अभी बहुत से बरस बाक़ी हों, तो जितने
रुपयों में वह ख़रीदा गया था उनमें से अपने छूटने की क़ीमत

उतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक़ फेर दे।
52 और अगर साल — ए — यूबली के थोड़े से बरस रह गए
हों, तो वह उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की क़ीमत
उतने ही बरसों के मुताबिक़ उसे फेर दे;
53 और वह उस मज़दूर की तरह अपने आक़ा के साथ रहे
जिसकी मज़दूरी साल — ब — साल ठहराई जाती हो, और
उसका आक़ा उस पर तुम्हारे सामने सख़्ती से हुकूमत न करने
पाए।
54 और अगर वह इन तरीक़ों से छुड़ाया न जाए तो साल —
ए — यूबली में बाल बच्चों के साथ छूट जाए।
55 क्यूँकि बनी — इस्राईल मेरे लिए ख़ादिम हैं, वह मेरे ख़ादिम
हैं जिनको मैं मुल्क — ए — मिस्र से निकाल कर लाया हूँ; मैं
ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।

26

[illegible]

1 तुम अपने लिए बुत न बनाना और न कोई तराशी हुई मूरत
या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने मुल्क में कोई
शबीहदार पत्थर रखना कि उसे सिज्दा करो; इसलिए कि मैं
ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
2 तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे हैकल की ता'ज़ीम करना;
मैं ख़ुदावन्द हूँ।
3 "अगर तुम मेरी शरी'अत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो
और उन पर 'अमल करो,
4 तो मैं तुम्हारे लिए सही वक़्त मेंह बरसाऊँगा और ज़मीन से
अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख़्त फलेंगे;

5 यहाँ तक कि अंगूर जमा' करने के वक़्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक़्त तक अंगूर जमा' करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे।
6 और मैं मुल्क में अम्न बख़्शूंगा, और तुम सोओगे और तुम को कोई नहीं डराएगा; और मैं बुरे दरिन्दों को मुल्क से हलाक कर दूँगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी।
7 और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वह तुम्हारे आगे — आगे तलवार से मारे जाएँगे।
8 और तुम्हारे पाँच आदमी सौ को दौड़ाएंगे, और तुम्हारे सौ आदमी दस हज़ार को खदेड़ देगें, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे — आगे मारे जाएँगे;
9 और मैं तुम पर नज़र — ए — 'इनायत रख्खूंगा, और तुम को कामयाब करूँगा और बढ़ाऊँगा, और जो मेरा 'अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूँगा।
10 और तुम 'अरसे का ज़ख़ीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे, और नये की वजह से पुराने को निकाल बाहर करोगे।
11 और मैं अपना घर तुम्हारे बीच क़ायम रखूँगा और मेरी रूह तुमसे नफ़रत न करेगी।
12 और मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूँगा, और तुम्हारा ख़ुदा हूँगा, और तुम मेरी क़ौम होगे।
13 मैं ख़ुदावन्द तुम्हारा ख़ुदा हूँ, जो तुम को मुल्क — ए — मिस्र से इसलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके ग़ुलाम न बने रहो; और मैंने तुम्हारे जूए की चोबें तोड़ डाली हैं और तुम को सीधा खड़ा करके चलाया।

[illegible]

14 लेकिन अगर तुम मेरी न सुनो और इन सब हुक्मों पर 'अमल न करो,

15 और मेरी शरी'अत को छोड़ दो, और तुम्हारी रूहों को मेरे
फ़ैसलों से नफ़रत हो, और तुम मेरे सब हुक्मों पर 'अमल न करो
बल्कि मेरे 'अहद को तोड़ो;
16 तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊँगा कि दहशत
और तप — ए — दिक़ और बुख़ार को तुम पर मुक़र्रर कर दूँगा,
जो तुम्हारी आँखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला
डालेंगे, और तुम्हारा बीज बोना फ़िज़ूल होगा क्यूँकि तुम्हारे
दुश्मन उसकी फ़सल खाएँगे;
17 और मैं ख़ुद भी तुम्हारा मुख़ालिफ़ हो जाऊँगा, और तुम
अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे; और जिनको तुमसे
'अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे, और जब कोई तुमको
दौड़ाता भी न होगा तब भी तुम भागोगे।
18 और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे
गुनाहों के ज़रिए' तुम को सात गुनी सज़ा और दूँगा।
19 और मैं तुम्हारी शहज़ोरी के फ़ख़्र को तोड़ डालूँगा, और
तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और ज़मीन को पीतल
की तरह कर दूँगा।
20 और तुम्हारी क़ुव्वत बेफ़ायदा सर्फ़ होगी क्यूँकि तुम्हारी
ज़मीन से कुछ पैदा न होगा और मैदान के दरख़्त फलने ही के
नहीं।
21 और अगर तुम्हारा चलन मेरे ख़िलाफ़ ही रहे और तुम मेरा
कहा न मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुवाफ़िक़ तुम्हारे ऊपर और
सातगुनी बलाएँ लाऊँगा।
22 जंगली दरिन्दे तुम्हारे बीच छोड़ दूंगा जो तुम को बेऔलाद
कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को हलाक करेंगे और तुम्हारा शुमार
घटा देगें, और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएँगी।
23 और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए न सुधरो बल्कि
मेरे ख़िलाफ़ ही चलते रहो,

24 तो मैं भी तुम्हारे ख़िलाफ़ चलूँगा, और मैं आप ही तुम्हारे
गुनाहों के लिए तुम को और सात गुना मारूँगा।
25 और तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊँगा जो 'अहदशिकनी
का पूरा पूरा इन्तक़ाम ले लेगी, और जब तुम अपने शहरों के
अन्दर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ, तो मैं वबा को तुम्हारे बीच
भेजूँगा और तुम ग़नीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे।
26 और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, तो दस
'औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएँगी। और तुम्हारी
उन रोटियों को तोल — तोल कर देती जाएँगी; और तुम खाते
जाओगे पर सेर न होगे।
27 "और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी न सुनो और मेरे
ख़िलाफ़ ही चलते रहो,
28 तो मैं अपने ग़ज़ब में तुम्हारे बरख़िलाफ़ चलूँगा, और तुम्हारे
गुनाहों के ज़रिए' तुम को सात गुनी सज़ा भी दूँगा।
29 और तुम को अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का
गोश्त खाना पड़ेगा।
30 और मैं तुम्हारी परस्तिश के बलन्द मकामों को ढा दुंगा,
और तुम्हारी सूरज की मूरतों को काट डालूँगा और तुम्हारी लाशें
तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूँगा, और मेरी रूह को तुमसे
नफ़रत हो जाएगी।
31 और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूँगा, और तुम्हारे
हैकलों को उजाड़ बना दूँगा, और तुम्हारी ख़ुशबू — ए — शीरीन
की लपट को मैं सूघने का भी नहीं।
32 और मैं मुल्क को सूना कर दूँगा, और तुम्हारे दुश्मन जो वहाँ
रहते हैं इस बात से हैरान होंगे।
33 और मैं तुम को गैर क़ौमों में बिखेर दूँगा और तुम्हारे पीछे —
पीछे तलवार खींचे रहूँगा; और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा,
और तुम्हारे शहर वीरान बन जाएँगे।

34 'और यह ज़मीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों
के मुल्क में होगे, तब तक वह अपने सबत मनाएगी; तब ही इस
ज़मीन को आराम भी मिलेगा और वह अपने सबत भी मनाने
पाएगी।
35 ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी, जो
इसे कभी तुम्हारे सबतों में जब तुम उसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ
था।
36 और जो तुम में से बच जाएँगे और अपने दुश्मनों के मुल्कों
में होंगे, उनके दिल के अन्दर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूँगा उड़ती
हुई पट्टी की आवाज़ उनको खदेड़ेगी, और वह ऐसे भागेंगे जैसे
कोई तलवार से भागता हो और हालाँकि कोई पीछा भी न करता
होगा तो भी वह गिर — गिर पड़ेगे।
37 और वह तलवार के ख़ौफ़ से एक दूसरे से टकरा — टकरा
जाएँगे बावजूद यह कि कोई खदेड़ता न होगा, और तुम को अपने
दुश्मनों के मुक़ाबले की ताब न होगी।
38 और तुम ग़ैर क़ौमों के बीच बिखर कर हलाक हो जाओगे,
और तुम्हारे दुश्मनों की ज़मीन तुम को खा जाएगी।
39 और तुम में से जो बाक़ी बचेंगे वह अपनी बदकारी की वजह
से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्कों में घुलते रहेंगे, और अपने बाप दादा
की बदकारी की वजह से भी वह उन्हीं की तरह घुलते जाएँगे।
40 'तब वह अपनी और अपने बाप दादा की इस बदकारी का
इक़रार करेंगे कि उन्होंने मुझ से ख़िलाफ़वर्ज़ी कर कि मेरी हुक्म
— उदूली की; और यह भी मान लेंगे कि चूँकि वह मेरे ख़िलाफ़
चले थे,
41 *इसलिए मैं भी उनका मुख़ालिफ़ हुआ और उनको उनके
दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक़्त उनका नामख़्तून

* **26:41** जो मुझे उन की तरफ़ मुखाल फाना लगा ताकि मैं उन्हें उनके दुश्मनों के मुल्क में भेजूं — तब उनके ना — मख्तून दिल हलीम किए जाएंगे, और वह अपने गुनाहों के लिए क़ीमत अदा करेंगे —

दिल 'आजिज़ बन जाए और वह अपनी बदकारी की सज़ा को
मन्जूर करें,
42 तब मैं अपना 'अहद जो या'क़ूब के साथ था याद करूँगा,
और जो 'अहद मैंने इस्हाक़ के साथ, और जो 'अहद मैंने अब्रहाम
के साथ बान्धा था उनको भी याद करूँगा, और इस मुल्क को याद
करूँगा।
43 और वह ज़मीन भी उनसे छूट कर जब तक उनकी ग़ैर
हाज़िरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने सबतों को मनाएगी;
और वह अपनी बदकारी की सज़ा को मन्जूर कर लेंगे, इसी वजह
से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को छोड़ दिया था, और उनकी रूहों को
मेरी शरी'अत से नफ़रत हो गई थी।
44 इस पर भी जब वह अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं
उनको ऐसा नहीं छोड़ूँगा करूँगा और न मुझे उनसे ऐसी नफ़रत
होगी कि मैं उनकी बिल्कुल फ़ना कर दूँ, और मेरा जो 'अहद उनके
साथ है उसे तोड़ दूँ क्यूँकि मैं ख़ुदावन्द उनका ख़ुदा हूँ।
45 बल्कि मैं उनकी ख़ातिर उनके बाप दादा के 'अहद की याद
करूँगा, जिनको मैं ग़ैरक़ौमों की आँखों के सामने मुल्क — ए —
मिस्र से निकाल कर लाया ताकि मैं उनका ख़ुदा ठहरूँ; मैं ख़ुदावन्द
हूँ।”
46 यह वह शरी'अत और अहकाम और क़वानीन हैं जो
ख़ुदावन्द ने कोह-ए-सीना पर अपने और बनी — इस्राईल के बीच
मूसा की ज़रिए' मुक़र्रर किए।

27

[illegible]

1 फिर ख़ुदावन्द ने मूसा से कहा कि;

2 “बनी — इस्राईल से कह, कि जब कोई शख़्स अपनी मिन्नत
पूरी करने लगे, तो मिन्नत के आदमी तेरी क़ीमत ठहराने के
मुताबिक़ ख़ुदावन्द के होंगे।
3 इसलिए बीस बरस की उम्र से लेकर साठ बरस की उम्र तक के
मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई क़ीमत हैकल की मिस्क़ाल के हिसाब
से *चाँदी की पचास मिस्क़ाल हों।
4 और अगर वह 'औरत हो, तो तेरी ठहराई हुई क़ीमत तीस
मिस्क़ाल हों।
5 और अगर पाँच बरस से लेकर बीस बरस तक की उम्र हो, तो
तेरी ठहराई हुई क़ीमत मर्द के लिए बीस मिस्क़ाल और 'औरत के
लिए दस मिस्क़ाल हों।
6 लेकिन अगर उम्र एक महीने से लेकर पाँच बरस तक की हो,
तो लड़के के लिए चाँदी के पाँच मिस्क़ाल और लड़की के लिए
चाँदी के तीन मिस्क़ाल ठहराई जाएँ।
7 और अगर साठ बरस से लेकर ऊपर ऊपर की उम्र हो, तो
मर्द के लिए पन्द्रह मिस्क़ाल और 'औरत के लिए दस मिस्क़ाल
मुक़र्रर हों।
8 लेकिन अगर कोई तेरे अन्दाज़े की निस्बत कम मक़दूर रखता
हो, तो वह काहिन के सामने हाज़िर किया जाए और काहिन
उसकी क़ीमत ठहराए, या'नी जिस शख़्स ने मिन्नत मानी है उसकी
जैसी हैसियत ही वैसी ही क़ीमत काहिन उसके लिए ठहराए।
9 'और अगर वह मिन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी
क़ुर्बानी लोग ख़ुदावन्द के सामने चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर
कोई ख़ुदावन्द की नज़्र करे वह पाक ठहरेगा।
10 वह उसे फिर किसी तरह न बदले, न तो अच्छे की बदले बुरा
दे और न बुरे की बदले अच्छा दे; और अगर वह किसी हाल में

* **27:3** मक़दिस मक़ाम की मिस्क़ाल के मुताबिक एक मिस्क़ाल कीक़ीमत 8 से लेकर 16 ग्राम चांदी था

एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वह और उसका बदल
दोनों पाक ठहरेंगे।
11 और अगर वह कोई नापाक जानवर हो जिसकी क़ुर्बानी
ख़ुदावन्द के सामने नहीं पेश करते, तो वह उसे काहिन के सामने
खड़ा करे,
12 और चाहे वह अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी क़ीमत
ठहराए और ऐ काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही
रहेगा।
13 और अगर वह चाहे कि उसका फ़िदिया देकर उसे छुड़ाए,
तो जो क़ीमत तूने ठहराई है उसमें उसका पाँचवा हिस्सा वह और
मिला कर दे।
14 'और अगर कोई अपने घर को पाक क़रार दे ताकि वह
ख़ुदावन्द के लिए पाक हो, तो ख़्वाह वह अच्छा हो या बुरा
काहिन उसकी क़ीमत ठहराए, और जो कुछ वह ठहराए वही
उसकी क़ीमत रहेगी।
15 और जिसने उस घर को पाक क़रार दिया है अगर वह चाहे
कि घर का फ़िदिया देकर उसे छुड़ाए, तो तेरी ठहराई हुई क़ीमत
में उसका पाँचवाँ हिस्सा और मिला दे तब वह घर उसी का रहेगा।
16 और अगर कोई शख़्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा
ख़ुदावन्द के लिए पाक क़रार दे, तो तू क़ीमत का अन्दाज़ा करते
यह देखना कि उसमें कितना †बीज बोया जाएगा। जितनी ज़मीन
में ‡एक ख़ोमर के वज़न के बराबर जौ बो सकें उसकी क़ीमत चाँदी
की पचास मिस्क़ाल हो।
17 अगर कोई साल — ए — यूबली से अपना खेत पाक करार
दे, तो उसकी क़ीमत जो तू ठहराए वही रहेगी।
18 लेकिन अगर वह साल — ए — यूबली के बाद अपने खेत
को पाक क़रार दे, तो जितने बरस दूसरे साल — ए — यूबली के

† **27:16** 1: तुम को फ़सल से कितना बीज हासिल होरहाहै? ‡ **27:16** 1: एक
ख़ोमर, 300 किलोग्राम, एक ख़ोमर बराबर है 10 ऐफ़ा के

बाक़ी हों उन्ही के मुताबिक़ काहिन उसके लिए रुपये का हिसाब
करे; और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई क़ीमत
से कम किया जाए।
19 और अगर वह जिसने उस खेत को पाक करार दिया है यह
चाहे कि उसका फ़िदिया देकर उसे छुड़ाए, वह तेरी ठहराई हुई
क़ीमत का पाँचवाँ हिस्सा उसके साथ और मिला कर दे तो वह
खेत उसी का रहेगा।
20 और अगर वह उस खेत का फ़िदिया देकर उसे न छुड़ाए या
किसी दूसरे शख़्स के हाथ उसे बेच दे, तो फिर वह खेत कभी न
छुड़ाया जाए;
21 बल्कि वह खेत जब साल — ए — यूबली में छूटे तो वक़्फ़
किए हुए खेत की तरह वह ख़ुदावन्द के लिए पाक होगा, और
काहिन की मिल्कियत ठहरेगा
22 और अगर कोई शख़्स किसी ख़रीदे हुए खेत को जो उसका
मौरूसी नहीं, ख़ुदावन्द के लिए पाक क़रार दे,
23 तो काहिन जितने बरस दूसरे साल — ए — यूबली के बाक़ी
हों उनके मुताबिक़ तेरी ठहराई हुई क़ीमत का हिसाब उसके लिए
करे, और वह उसी दिन तेरी ठहराई हुई क़ीमत को ख़ुदावन्द के
लिए पाक जानकर दे दे।
24 और साल — ए — यूबली में वह खेत उसी को वापस हो
जाए जिससे वह ख़रीदा गया था और जिसकी वह मिल्कियत है।
25 और तेरे सारे क़ीमत के अन्दाज़े हैकल की मिस्क़ाल के
हिसाब से हों; और एक मिस्क़ाल बीस जीरह का हो।
26 लेकिन सिर्फ़ चौपायों के पहलौठों को जो पहलौठे होने की
वजह से ख़ुदावन्द के ठहर चुके हैं, कोई शख़्स पाक क़रार न दे,
चाहे वह बैल हो या भेड़ — बकरी वह तो ख़ुदावन्द ही का है। §
27 लेकिन अगर वह किसी नापाक जानवर का पहलौठा हो

§ **27:26** देखें ख़ुरुज 30:13

तो वह शख़्स तेरी ठहराई हुई क़ीमत का पाँचवा हिस्सा क़ीमत
में और मिलाकर उसका फ़िदिया दे और उसे छुड़ाए; और अगर
उसका फ़िदिया न दिया जाए तो वह तेरी ठहराई हुई क़ीमत पर
बेचा जाए।
28 “तोभी कोई मख़्सूस की हुई चीज़ जिसे कोई शख़्स अपने
सारे माल में से ख़ुदावन्द के लिए मख़्सूस करे, चाहे वह उसका
आदमी या जानवर या मौरूसी ज़मीन ही बेची न जाए और न
उसका फ़िदिया दिया जाए; हर एक मख़्सूस की हुई चीज़ ख़ुदावन्द
के लिए बहुत पाक है।
29 अगर आदमियों में से कोई मख़्सूस किया जाए तो उसका
फ़िदिया न दिया जाए, वह ज़रूर जान से मारा जाए।
30 और ज़मीन की पैदावार की सारी दहेकी चाहे वह ज़मीन के
बीज की या दरख़्त के फल की हो, ख़ुदावन्द की है और ख़ुदावन्द
के लिए पाक है।
31 और अगर कोई अपनी दहेकी में से कुछ छुड़ाना चाहे, तो
वह उसका पाँचवाँ हिस्सा उसमें और मिला कर उसे छुड़ाए।
32 और गाय, बैल और भेड़ बकरी, या जो जानवर चरवाहे की
लाठी के नीचे से गुज़रता हो, उनकी दहेकी या'नी दस पीछे एक
— एक जानवर ख़ुदावन्द के लिए पाक ठहरे।
33 कोई उसकी देख भाल न करे कि वह अच्छा है या बुरा है
और न उसे बदलें और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वह असल
और बदल दोनों के दोनों पाक ठहरे और उसका फ़िदिया भी न
दिया जाए।
34 जो हुक्म ख़ुदावन्द ने कोह-ए-सीना पर बनी इस्राईल के
लिए मूसा को दिए वह यही हैं।

इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) उर्दू - 2019

The Holy Bible in the Urdu language of India: इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) उर्दू - 2019

copyright © 2019 Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

Language: اردو (Urdu)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

- You include the above copyright and source information.
- If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.
- If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2023-01-03

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 19 Apr 2023

4a2fe4e0-ffe8-5377-87c7-19b3106ba2bc